

(आयोग की वेबसाईट अर्थात <https://ssc.nic.in> पर दिनांक **26.07.2023** को अपलोड किए जाने हेतु)



भारत सरकार,
कर्मचारी चयन आयोग,
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय,
ब्लॉक सं० 12, केन्द्रीय कार्यालय परिसर,
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

Government of India,
Staff Selection Commission
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions,
Block No. 12, CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi - 110003.

विज्ञप्ति
कनिष्ठ अभियंता (सिविल, यांत्रिक और वैद्युत) परीक्षा, 2023

ऑनलाइन आवेदनों के प्रस्तुतीकरण की तिथि	26.07.2023 से 16.08.2023
ऑनलाइन आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	16.08.2023 (2300 बजे)
'आवेदन पत्र में संशोधन करने हेतु विंडो' और सुधार राशि के ऑनलाईन भुगतान की तारीख	17.08.2023 से 18.08.2023 (2300 बजे)
कंप्यूटर आधारित परीक्षा का संभावित कार्यक्रम (पेपर-I)	अक्तूबर, 2023

"सरकार एक ऐसा कार्यदल बनाने का प्रयास करती है जिसमें लिंग संतुलन प्रतिबिम्बित हो तथा महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।"

मुख्या. नी.एवंयो.॥ 03(2)/1/2023-नी.एवंयो.॥: कर्मचारी चयन आयोग, भारत सरकार के विभिन्न संगठनों/ कार्यालयों के लिए कनिष्ठ अभियंता (सिविल, यांत्रिक और वैद्युत) की भर्ती हेतु एक खुली प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करेगा। ये पद सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के लेवल-6 (35400-112400/-रूपए) में समूह 'ख'(अराजपत्रित), गैर-अनुसचिवीय पद हैं ।

2. पदों, आवश्यक शैक्षणिक योग्यताओं का ब्यौरा (16.08.2023 तक) और आयु

सीमा (01.08.2023 तक) :

क्र. सं.	संगठन	पद	आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं	आय सीमा
1	सीमा सड़क संगठन (बीआरओ)	क. अ. (सिव.)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री। अथवा (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान / बोर्ड से सिविल अभियांत्रिकी में तीन वर्ष का डिप्लोमा, और (ख) सिविल अभियांत्रिकी कार्यों के नियोजन / निष्पादन / रखरखाव में दो वर्ष का कार्य अनुभव।	30 वर्ष तक
		क. अ. (वै. एवं या.)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान अथवा बोर्ड से वैद्युत अथवा यांत्रिक अभियांत्रिकी में डिग्री। अथवा (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान / बोर्ड से वैद्युत / ऑटोमोबाइल / यांत्रिक अभियांत्रिकी में तीन वर्ष का डिप्लोमा, और (ख) वैद्युत या यांत्रिक अभियांत्रिकी कार्यों के नियोजन / निष्पादन / रखरखाव में दो वर्ष का कार्य अनुभव।	30 वर्ष तक
2	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यू डी)	क. अ. (सिव.)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा।	32 वर्ष तक
		क. अ. (वै.)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से वैद्युत अथवा यांत्रिक अभियांत्रिकी में डिप्लोमा।	32 वर्ष तक
3	केंद्रीय जल आयोग	क. अ. (सिव.)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री अथवा डिप्लोमा।	30 वर्ष तक
		क. अ. (यां.)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से यांत्रिक अभियांत्रिकी में डिग्री अथवा डिप्लोमा।	30 वर्ष तक

4	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (ब्रह्मपुत्र बोर्ड)	क.अ. (सिव.)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से सिविल अभियांत्रिकी में तीन वर्ष का डिप्लोमा ।	30 वर्ष तक
5	फरक्का बांध परियोजना (फ.बा.प.)	क.अ. (सिव.)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान या बोर्ड से सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा ।	30 वर्ष तक
		क.अ. (यां.)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान या बोर्ड से यांत्रिक अभियांत्रिकी में डिप्लोमा ।	30 वर्ष तक
6	सैन्य अभियांत्रिकी सेवाएं (एमईएस)	क.अ. (सिव.)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री अथवा क) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड से सिविल अभियांत्रिकी में तीन वर्ष का डिप्लोमा, और ख) सिविल अभियांत्रिकी कार्य के नियोजन, निष्पादन करने और रखरखाव का दो वर्ष का अनुभव	30 वर्ष तक
		क.अ. (वै. एव. यां.)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वैद्युत अथवा यांत्रिक अभियांत्रिकी में डिग्री अथवा क) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड से वैद्युत अथवा यांत्रिक अभियांत्रिकी में तीन वर्ष का डिप्लोमा, और ख) वैद्युत अथवा यांत्रिक अभियांत्रिकी कार्य के नियोजन, निष्पादन और रख रखाव का दो वर्ष का अनुभव	30 वर्ष तक
7	पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (अ.द.मान लक्ष दीप बंदरगाह)	क.अ. (सिव.)	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा ।	30 वर्ष तक
		क.अ. (यां.)	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से यांत्रिक अभियांत्रिकी में डिप्लोमा ।	30 वर्ष तक

8	सं.कर्म) राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान (एनटीआर आ)	क.अ. (सिव.)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा ।	30 वर्ष तक
		क.अ. (वै.)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से वैद्युत अभियांत्रिकी में डिप्लोमा ।	30 वर्ष तक
		क.अ. (यां.)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से यांत्रिक अभियांत्रिकी में डिप्लोमा ।	30 वर्ष तक

प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षरः

क.अ.(सिव.)=कनिष्ठ अभियंता (सिविल), क.अ. (यां.)=कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिक), क.अ. (वै.)=कनिष्ठ अभियंता (वैद्युत), क.अ. (वै. एवं यां.)= कनिष्ठ अभियंता (वैद्युत एवं यांत्रिक)

- 2.1 ऐसे पद (पदों) जहां अनुभव अपेक्षित है, अभ्यर्थी द्वारा वह अनुभव अनिवार्य रूप से संबंधित पद के लिए यथा- विनिर्दिष्ट शैक्षिक योग्यता (शै.यो.) पूरी करने के बाद ही प्राप्त किया गया हो। इसके अतिरिक्त, शैक्षिक योग्यता प्राप्ति के दौरान लिए गए इंटरनशिप, प्रशिक्षण, अनुसंधान अनुभव आदि को आवेदन किए गए पद (पदों) के लिए अनुभव के रूप में नहीं माना जाएगा।
- 2.2 भारत के राजपत्र के भाग-III (8) (v) के तहत दिनांक 23.06.2017 को प्रकाशित विश्वविद्यालय अनुदान योग (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा) विनियम 2017 के अनुसार, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के तहत किए गए अभियांत्रिकी, चिकित्सा, दंत, नर्सिंग, फार्मेसी, वास्तुकला और फिजियोथेरेपी आदि के पाठ्यक्रम अनुमत्य नहीं हैं। तथापि, मुकुल कुमार शर्मा एवं अन्य बनाम एआईसीटीई एवं अन्य के मामले में, डब्ल्यू.पी.(सी) सं. 382/2018 में एमए सं. 3092/2018 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11-03-2019 के आदेशानुसार, इग्रू द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में नामांकित छात्रों को प्रदान की गई अभियांत्रिकी में डिग्री / डिप्लोमा यथा-प्रयोज्य वैध माना जाएगा।
- 2.3 प्रयोक्ता विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए सभी चयनित अभ्यर्थियों को आवश्यक शैक्षणिक योग्यता जैसे स्नातक के सभी वर्षों/ सेमेस्टरों की मार्कशीट/अनंतिम प्रमाण पत्र/ स्नातक की डिग्री इत्यादि आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के प्रमाण के रूप में मूल रूप में, और संबंधित क्षेत्र में अनुभव, जहां भी आवश्यक हो, कट-ऑफ तिथि पर या उससे पहले प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता प्रयोक्ता विभाग द्वारा रद्द कर दी जाएगी।

2.4 वे अभ्यर्थी जो दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह प्रमाणित कर पाते हैं कि अर्हक परीक्षा का परिणाम कटऑफ तिथि को अथवा उससे पूर्व घोषित किया गया था तथा उसे उत्तीर्ण घोषित किया गया है, तो उन्हें भी आवश्यक शैक्षणिक योग्यता पूरी करने वाला माना जाएगा। यह दोहराया जाता है कि बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट तारीख तक अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता का परिणाम घोषित हो जाना चाहिए। बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा महत्वपूर्ण कटऑफ तारीख तक परिणाम को तैयार किए जाने मात्र से शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता पूरी नहीं होती है।

3. रिक्तियां: अनंतिम रिक्तियां निम्नानुसार हैं:

विभाग का नाम	पद	अज ा	अ ज जा	अपि व	आ कव	अन ा	योग	अ. दि.	श्र. दि.	अन्य
सीमा सड़क संगठन (केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए)	क.अ. (सिव.)	65	32	11 6	43	17 5	431	0	0	0
सीमा सड़क संगठन (केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए)	क.अ. (वै. एवं या.)	8	4	15	6	22	55	0	0	0
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग	क.अ. (सिव.)	78	35	82	32	19 4	421	6	6	5
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग	क.अ. (वै.)	15	10	15	10	74	124	2	2	1
केंद्रीय जल आयोग	क.अ. (सिव.)	24	10	34	21	99	188	0	0	4
केंद्रीय जल आयोग	क.अ. (या.)	3	1	4	2	13	23	0	0	1
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (ब्रह्मपुत्र बोर्ड)	क.अ. (सिव.)	रिक्तियों के बारे में शीघ्र सूचित किया जाएगा।								
फरक्का बांध परियोजना (फ.बा.प.)	क.अ. (सिव.)	4	1	6	2	2	15	0	0	0
फरक्का बांध परियोजना	क.अ. (या.)	0	0	2	0	4	6	0	0	0

(फ.बां.प.)										
सैन्य अभियांत्रिक सेवाएं	क.अ. (सिव.)	4	2	8	3	12	29	0	0	0
सैन्य अभियांत्रिक सेवाएं	क.अ. (वै. एवं यां.)	3	1	5	2	7	18	0	0	0
पत्त न, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह संकर्म)	क.अ. (सिव.)	0	0	0	0	7	7	0	0	0
पत्त न, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह संकर्म)	क.अ. (यां.)	0	0	0	0	1	1	0	0	0
राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन	क.अ. (सिव.)	1	0	1		2	4	0	0	0
राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन	क.अ. (वै.)	1	0	0	0	0	1	0	0	0
राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन	क.अ. (यां.)	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Total		20	9	28	12	61	13	8	8	11
		6	6	8	1	3	24			

प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षरः

क.अ.(सिव.)=कनिष्ठ अभियंता (सिविल), क.अ. (वै.)=कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिक), क.अ. (वै.)=कनिष्ठ अभियंता (वैद्युत), क.अ. (वै. एवं यां.)= कनिष्ठ अभियंता (वैद्युत एवं यांत्रिक)

4. आरक्षण एवं बेंचमार्क दिव्यांगजनों (बे.दि.) के लिए पदों की उपयुक्तता :

- 4.1** अनुसूचित जाति (अजा) / अनुसूचित जनजाति (अजजा) / अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव) / आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (अकव) एवं दिव्यांगजन इत्यादि श्रेणियों के लिए आरक्षण वर्तमान सरकारी आदेशों के अनुसार व मांगकर्ता मंत्रालयों / विभागों / संगठनों द्वारा यथा-निर्धारित और सूचित रिक्तियों के अनुसार होगा ।
- 4.2** आयोग विभिन्न पदों के लिए संबंधित प्रयोक्ता विभागों/ कार्यालयों द्वारा सूचित रिक्तियों के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन करता है। किसी भी प्रयोक्ता विभाग/ कार्यालय की रिक्तियों की संख्या तय करने में आयोग की कोई भूमिका नहीं होती है। आरक्षण नीति का क्रियान्वयन, आरक्षण रोस्टर को बनाए रखना और विभिन्न श्रेणियों के लिए रिक्तियों का निर्धारण करना प्रयोक्ता विभागों/ कार्यालयों के क्षेत्राधिकार में आता है।
- 4.3** इस परीक्षा विज्ञप्ति में शामिल कनिष्ठ अभियंता (अभियंताओं) का पद समूह 'ख' पद है अतः भूतपूर्व सैनिक (भू.पू.सै.) श्रेणी के लिए आरक्षण नहीं है। इस विज्ञप्ति में शामिल भू.पू.सै. श्रेणी के लिए आरक्षण से संबंधित दिशा-निर्देशों/नियमों को इस शर्त के आलोक में पढ़ा जाए । तथापि, भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को वर्तमान सरकारी आदेशों के अनुसार आयु में छूट का लाभ अनुमत्य होगा । इस परीक्षा विज्ञप्ति में शामिल भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए स्वीकार्य छूट से संबंधित दिशानिर्देश/नियम डीओपीटी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार हैं।

5. बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अनुमेय दिव्यांगता

- 5.1** दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग , सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 38-16/2020-डीडीIII, दिनांक 04.01.2021 और समय-समय पर जारी संशोधन के अनुसार, इस परीक्षा विज्ञप्ति में शामिल कनिष्ठ अभियंता (सिविल, यांत्रिक एवं वैद्युत) का पद, सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) को छोड़कर, निम्नलिखित दिव्यांगताओं के लिए उपयुक्त पाया गया है:

पद नाम	कार्यात्मक आवश्यकता	बेंचमार्क दिव्यांगता की उपयुक्त श्रेणी
कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	बै, खड़े, चल, झु, उ, घुझु, उका, प.लि., दे, सु, सं	क) ब. , श्र.दि. ख) ए.हा., ए.पै., प्र.प., अ. कु. , बौ., ए.ह.पी ग) वि.अ.अक्ष, मा.रो.

		घ) ब.दि. जिसमें उपरोक्त (क) से (ग) शामिल हैं
कनिष्ठ अभियंता (वै/यां) आर	बै, खड़े, झु, उ, घुझु, उका, प.लि., दे, सु, सं	क) ब. , श्र.दि. ख) ए.हा., ए.पै., प्र.प., अ. कु. , बौ., ए.ह.पी ग) वि.अ.अक्ष, मा.रो. घ) ब.दि. जिसमें उपरोक्त (क) से (ग) शामिल हैं

प्रयुक्त संक्षिप्त नाम:

कार्यात्मक आवश्यकता: बै = बैठना, खड़े = खड़ा होना, चल = चलना, झु = झुकना, उ=उठाना, घुझु= घुटने टेकना और झुकना , उका= उंगलियों से कार्यसाधन, प.लि. = पढ़ना और लिखना, दे. = देखना, सु. = सुनना, सं = संचार

शारीरिक अक्षमताओं की प्रकृति: ब.= बधिर, श्र.दि. = श्रवण दिव्यांग, ए.हा = एक हाथ, ए.पै. = एक पैर, प्र.प = प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, अ.कु = अभिसाधित कुष्ठ, बौ = बौनापन, ए.ह.पी = एसिड हमले से पीड़ित, वि.अ.अ = विशिष्ट अभिगम अक्षमता, मा.रो. = मानसिक रोग, ब.दि. = बहु दियांगताएं (बधिर, दृष्टिहीनता सहित).

नोट:1 उपर्युक्त तालिका में दर्शाए गए बेंचमार्क दिव्यांगजनों (दिव्या.) के लिए पदों की उपयुक्तता मांगकर्ता मंत्रालयों / विभागों से प्राप्त छूट, यदि कोई हो, के अध्यक्षीन होगी।

नोट:2 इस परीक्षा विज्ञप्ति में शामिल कनिष्ठ अभियंता (सिविल, यांत्रिक और वैद्युत) के पदों को दृष्टि दिव्यांग (दृ.दि.) व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है।

5.2 सीमा सड़क संगठन में कनिष्ठ अभियंता के पद के लिए शारीरिक क्षमता परीक्षा, शारीरिक और चिकित्सीय मानक अनुसूची पर उपलब्ध है। सीमा सड़क संगठन में कनिष्ठ अभियंता (अभियंताओं) के पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे सभी अपेक्षित मानकों को पूरा करते हैं। अभ्यर्थियों द्वारा दी गई योग्यता-सह-वरीयता के अनुसार पद (पदों) का एक बार आबंटन होने के पश्चात अभ्यर्थियों द्वारा इन मानकों को पूरा न करने पर बाद में

इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा । यह पुनः कहा जाता है कि सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) में कनिष्ठ अभियंता के पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को बीआरओ द्वारा आवश्यक शारीरिक और चिकित्सा मानकों को सावधानीपूर्वक जांचना चाहिए। कर्मचारी चयन आयोग उन अभ्यर्थियों के लिए पुनः आवंटन नहीं करेगा जिनकी अभ्यर्थिता शारीरिक और चिकित्सा मानकों को पूरा न करने के आधार पर रद्द कर दी गई है।

5.3 सीमा सड़क संगठन में कनिष्ठ अभियंता के पदों के लिए केवल पुरुष अभ्यर्थी पात्र हैं ।

6 . राष्ट्रीयता/नागरिकता:

6.1 अभ्यर्थी या तो

(क) भारत का नागरिक हो , या

(ख) नेपाल की प्रजा हो, या

(ग) भूटान की प्रजा हो, या

(घ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो , जिसने भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान , म्यांमार, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या , यूगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टंगानिका व जंजीबार), जांबिया, मालावी, जायरे, इथियोपिया और वियतनाम से प्रवर्जन किया हो ।

6.2 बशर्ते कि उपरोक्त (ख), (ग) तथा (घ) श्रेणियों का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया जा चुका हो ।

6.3 ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक है, उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, परन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने के बाद ही दिया जाएगा ।

7. आयु सीमा और आयु में छूट :

7.1 डीओपीटी का.ज्ञ. सं. **14017/70/87-स्था.(आरआर)** दिनांक **14.07.1988** के प्रावधानों के अनुसार आयु गणना के लिए महत्वपूर्ण तिथि **01-08-2023** निर्धारित की गई है।

पदों के लिए आयु की आवश्यकता इस प्रकार है: -

जिन पदों के लिए आयु सीमा 30 वर्ष	अभ्यर्थी का जन्म 02-08-1993 से
---	---------------------------------------

तक है	पहले और 01-08-2005 के बाद नहीं होना चाहिए।
जिन पदों के लिए आयु सीमा 32 वर्ष तक है	अभ्यर्थी का जन्म 02-08-1991 से पहले और 01-08-2005 के बाद नहीं होना चाहिए।

7.2 उपरोक्त पैरा 2 में निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में अनुमेय छूट डीओपीटी का.ज़. सं.. 15012/2/2010- स्था (डी) दिनांक 27.03.2012 के प्रावधानों के अनुसार है।

कोड सं	श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त आयु में स्वीकार्य छूट
1.	अजा / अजजा	05 वर्ष
2.	अपिव	03 वर्ष
3.	दिव्यांगजन (अना.)	10 वर्ष
4.	दिव्यांगजन (अपिव)	13 वर्ष
5.	दिव्यांगजन (अजा / अजजा)	15 वर्ष
6.	भूतपूर्व सैनिक (भूपूसै)	वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 03 वर्ष
8.	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रव ग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणाम स्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक	03 वर्ष
9.	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रव ग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणाम स्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक (अजा / अजजा)	08 वर्ष

7.3 आयु पात्रता के निर्धारण के लिए अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन फॉर्म में भरी गई जन्म तिथि और वही जन्मतिथि मैट्रिक / माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र या किसी समकक्ष प्रमाणपत्र में अंकित होने पर आयोग द्वारा स्वीकार की जाएगी और इसमें परिवर्तन करने के किसी भी अनुरोध पर विचार / स्वीकार नहीं किया जाएगा।

7.4 ऐसे भूतपूर्व सैनिक (भूपूसै) जिन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिक को

दिए जाने वाले आरक्षण के लाभ को प्राप्त करके नियमित आधार पर केन्द्र सरकार के अंतर्गत सिविल पदों पर समूह 'ग' और 'घ' पदों में पहले से ही नौकरी प्राप्त कर ली है, वे भूपूँसै श्रेणी में आरक्षण और शुल्क में छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं। तथापि, यदि उसने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 14 अगस्त, 2014 को जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 36034/1/2014-स्थापना (आरक्षण) में यथाउल्लिखितानुसार सिविल रोजगार में शामिल होने के तुरंत बाद उन विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करने के दिनांक-वार ब्योरे के संबंध में संबंधित नियोक्ता को स्वयं घोषित / वचनबंध किया हो जिसके लिए उन्होंने प्रारंभिक सिविल रोजगार में कार्यभार ग्रहण करने से पहले आवेदन किया था, वह अनुवर्ती रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठा सकता है।

7.5 सशस्त्र सेनाओं में एक भूतपूर्व सैनिक की "काल अप सर्विस" की अवधि आयु में छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से नियमानुसार सशस्त्र सेनाओं में प्रदत्त सेवा के रूप में भी मानी जाएगी।

7.6 आरक्षण के लाभों को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि उसने कदाचार या अक्षमता के कारण सेवा से बरखास्तगी या सेवामुक्ति को छोड़कर इस पद / सेवा के लिए आवेदनपत्र भेजने के संगत समय पर भूपूँसै का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया हो या उसे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी सबूतों के द्वारा अपनी इस अर्जित हकदारी को सिद्ध करने की स्थिति में होना चाहिए कि वह आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र सेनाओं की विनिर्दिष्ट सेवा की अवधि पूरी कर लेगा। ऐसे अभ्यर्थियों ने आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर एक भूतपूर्व सैनिक का दर्जा भी अवश्य प्राप्त कर लिया हो।

7.7 स्पष्टीकरण: भूपूँसै से आशय उस व्यक्ति से है-

(i) जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में लड़ाकू सैनिक अथवा गैर लड़ाकू सैनिक के रूप में किसी भी पद पर सेवा की हो, तथा

(क) जो पेंशन अर्जित करने के पश्चात अपने अनुरोध पर अथवा नियोक्ता द्वारा सेवा निवृत्त या कार्यमुक्त या सेवा मुक्त किया गया हो ;

अथवा

(ख) जिसे ऐसी सेवा से चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किया गया अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य अशक्तता पेंशन दी गई हो ;

अथवा

(ग) जिसे कर्मचारियों में कटौती के परिणामस्वरूप सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो ;

अथवा

(ii) जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण सेवामुक्त या बर्खास्त न करके किसी अन्य कारण से सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा उपदान दिया गया हो और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक, नामतः निरंतर मूर्त सेवा अथवा अलग-अलग अवधियों में की गई अर्हक सेवा वाले पेंशनधारी शामिल हैं ;

अथवा

(iii) सैन्य डाक सेवा के कार्मिक जो कि नियमित सेना के अंग हैं और जो अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तित हुए बिना सैन्य डाक सेवा से पेंशन सहित सेवा निवृत्त हुए हैं अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण अथवा सैन्य सेवा के कारण चिकित्सा आधार पर अशक्त होने के कारण सैन्य डाक सेवा से कार्यमुक्त किए गए हैं और उन्हें चिकित्सा अथवा अन्य निशक्तता पेंशन दी गई है ;

अथवा

(iv) ऐसे कार्मिक जो **14** अप्रैल, **1987** से पूर्व सैन्य डाक सेवा में **06** माह से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर थे ;

अथवा

(v) प्रादेशिक सेना के कार्मिक सहित सशस्त्र सेनाओंके वीरता पुरस्कार विजेता ;

अथवा

(vi) भूतपूर्व सैनिक जिन्हें चिकित्सा आधार पर निकाला गया है अथवा कार्यमुक्त किया गया है और जिन्हें चिकित्सा निशक्तता पेंशन दी गई है।

7.8 भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र-पुत्रियों और आश्रितों को आयु सीमा में छूट अनुमत्य नहीं है । अतः ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी भूतपूर्व सैनिक के रूप में नहीं दर्शानी चाहिए।

8. प्रमाणन की प्रक्रिया एवं प्रमाणपत्रों का प्रारूप:

8.1 जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाने अथवा आयु में छूट पाने के इच्छुक हैं, उन्हें संबंधित मांगकर्ता विभागों / संगठनों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय

मांगे जाने पर निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अपेक्षित प्रमाणपत्र विहित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा अजा / अजजा / अपिव / आकव / दि. / भूपूसै के संबंध में उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। प्रमाणपत्रों का प्रारूप इस परीक्षा के विज्ञप्ति के साथ संलग्न हैं। दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, **1995 (1996 का 1)** के तहत जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र भी मान्य होगा। किसी अन्य प्रारूप में प्रमाणपत्र (पत्रें) और/या अपूर्ण प्रमाणपत्र (पत्रें) स्वीकार्य नहीं किए जाएंगे।

8.2 अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि वे आवेदन पत्र में भरी गई श्रेणी से संबंधित हैं और संबंधित उपयोगकर्ता विभागों / कार्यालयों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय या किसी भी चरण में, इस तरह के प्रमाणपत्र मांगे जाने पर वे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करके इसे साबित करने में सक्षम हैं, जिसमें विफल होने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को आवेदनपत्र में भरी गई श्रेणी के समर्थन में अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के लिए उपयोगकर्ता विभाग / कार्यालय द्वारा खारिज कर दिया जाता है, तो इसके लिए अभ्यर्थी पूरी तरह से उत्तरदायी होगा और इस संबंध में आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अभ्यर्थी के अन्य किसी श्रेणी के अंतर्गत अभ्यर्थिता के दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में डाक, फैंक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी रूप में प्राप्त किसी भी शिकायत पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और इसे सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।

उदाहरण के लिए, अभ्यर्थी X ने अपने आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी अपिव भरी है। तथापि, उपयोगकर्ता विभाग / कार्यालय द्वारा दस्तावेज सत्यापन के दौरान, X वैध अपिव प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है। ऐसी स्थिति में, उपयोगकर्ता विभाग/ कार्यालय द्वारा X की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

8.3 बेंचमार्क दिव्यांगता (पीडब्ल्यूबीडी) वाले अभ्यर्थी ध्यान दें कि उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदन पत्र भरते समय उपयुक्त दिव्यांगता श्रेणी यानी अ.दि./श्र.दि./ बेंचमार्क दिव्यांगजन-अन्य का चयन करना होगा। किसी भी परिस्थिति में बेंचमार्क दिव्यांगजन श्रेणी में बाद में किसी बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय या किसी भी चरण में संबंधित उपयोगकर्ता संगठनों/ कार्यालयों द्वारा ऐसे प्रमाणपत्र मांगे जाने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। यह ध्यान दिया जा सकता है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या **38-16/2020-डीडी-III** दिनांक **04.01.2021** में

बताए अनुसार दिव्यांगता/ दिव्यांगताओं की उप-श्रेणी/उप-श्रेणियों (जैसे एक बांह, एक पैर, दोनों पैर, बौनापन, वि.अ.अक्ष, मा.रो. आदि) का दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। यदि आवेदन पत्र में भरी गई श्रेणी के समर्थन में अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण उपयोगकर्ता संगठन/कार्यालयों द्वारा किसी अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाती है, तो आवेदन पत्र में गलत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अभ्यर्थी पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। इस संबंध में आयोग को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। इसके अलावा यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस संबंध में किसी भी रूप में जैसे पोस्ट, फैक्स, ईमेल, हाथ से आदि प्राप्त किसी भी शिकायत पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उसे सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

8.4 आकव के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास डीओपीटी कार्यालय ज्ञाप संख्या **36039/1/2019-स्था.(रेस.)** दिनांक **31.01.2019** के अनुसार वित्तीय वर्ष **2022-23** के लिए आय के आधार पर जारी वित्तीय वर्ष **2023-24** के लिए वैध आय और संपत्ति प्रमाण पत्र है।

8.5 अभ्यर्थी, उपरोक्त के संबंध में यह भी नोट करें कि उनकी अभ्यर्थिता तब तक अनंतिम रहेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शैक्षिक योग्यता, जाति / श्रेणी आदि से संबंधित प्रमाणपत्रों / दस्तावेजों की यथातथ्यता की पुष्टि नहीं कर ली जाती और उन्हें संतोषजनक नहीं पाया जाता। अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे कपटपूर्वक अजा / अजजा / अपिव/ आकव / बे.दि. / भू.पू.सै का दावा करते हैं तो उन्हें आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा से वारित कर दिया जाएगा।

8.6 अजा / अजजा / अपिव / आकव / बे.दि./ भू.पू.सै स्थिति या किसी अन्य लाभ नामतः शुल्क में छूट, आरक्षण, आयु में छूट आदि के दावे के लिए निर्णायक तिथि, जहां पर अन्यथा निर्दिष्ट नहीं है, ऑनलाइन आवेदन पत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।

9. अतिरिक्त समय का प्रावधान तथा प्रलिपिक द्वारा सहायता:

9.1 दृष्टिहीनता, चालन संबंधी दिव्यांगता (दोनों बांह प्रभावित - दो.बां.) और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित श्रेणी में न्यूनतम मानदंड वाले दिव्यांगजनों के मामले में, अभ्यर्थी द्वारा मांगे जाने पर प्रलिपिक की सुविधा प्रदान की जाती है। चूँकि यह पद दृष्टिहीनता, दोनों बांह प्रभावित दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त नहीं हैं अतः ऐसे अभ्यर्थियों को प्रलिपिक की सुविधा और अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।

- 9.2 न्यूनतम मानदंड दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों की अन्य श्रेणी के मामले में, **अनुबंध-I** पर दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य देख-रेख संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन / चिकित्सा अधीक्षक से परीक्षा के समय इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर प्रलिपिक की सुविधा प्रदान की जाएगी कि संबंधित व्यक्ति की लिखने की शारीरिक सीमाएं हैं और उसकी ओर से परीक्षा में लिखने के लिए प्रलिपिक अत्यावश्यक है।
- 9.3 दिव्यांगता, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 29-6/2019-डीडी-III दिनांक 10.08.2022 के अनुसरण में 40% से कम दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रालिपिक की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। यह सुविधा **अनुबंध-I क** के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर प्रदान की जाएगी।
- 9.4 बेंचमार्क दिव्यांगजन/ दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को प्रालिपिक/ पैसेज रीडर की सुविधा तभी प्रदान की जाएगी, जब उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र में इसका विकल्प चुना हो।
- 9.5 अभ्यर्थी को अपने प्रलिपिक अथवा आयोग द्वारा मुहैया कराए गए प्रलिपिक की सुविधा में से किसी एक को चुनने का विवेकाधिकार होगा। अभ्यर्थी को इस संबंध में ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में उपयुक्त विकल्प देना होगा।
- 9.6 यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रलिपिक का विकल्प दिया जाता है तो प्रलिपिक की योग्यता, परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी की योग्यता से एक स्तर नीचे की होनी चाहिए। अपने प्रलिपिक के लिए विकल्प दे रहे बेंचमार्क दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों को **अनुबंध-II** पर दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार परीक्षा के समय अपने प्रलिपिक के ब्यौरे प्रस्तुत करने होंगे। अपने प्रलिपिक के लिए विकल्प दे रहे दिव्यांगता वाले अभ्यर्थी जो उपर्युक्त पैरा 9.3 के अनुसार प्रालिपिक के लिए पात्र हैं को **अनुबंध-II क** पर दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार परीक्षा के समय अपने प्रलिपिक के ब्यौरे प्रस्तुत करने होंगे। इसके अलावा, प्रलिपिक को परीक्षा के समय अपने वैध पहचान प्रमाणपत्र की (पैरा-16.7 में दी गई सूची के अनुसार) मूलप्रति प्रस्तुत करनी होगी। **अनुबंध-II/ अनुबंध-II क** पर दिए गए प्रोफार्मा के साथ अभ्यर्थी के अलावा प्रलिपिक द्वारा हस्ताक्षरित प्रलिपिक के पहचान प्रमाणपत्र की फोटोप्रति प्रस्तुत की जाएगी। यदि बाद में यह पाया जाता है कि प्रलिपिक की योग्यता, अभ्यर्थी द्वारा

घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी उस पद के लिए अपने अधिकार और उससे संबद्ध दावों को खो देगा।

- 9.7 यदि कोई अभ्यर्थी अपने स्वयं के प्रालिपिक का चयन करता है, तो उस स्थिति में, वह प्रालिपिक इस परीक्षा का अभ्यर्थी नहीं होना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी इस परीक्षा में बेंचमार्क दिव्यांगजन/ दिव्यांगजन अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के प्रालिपिक के रूप में शामिल हुआ या शामिल होने की संभावना वाला पाया गया तो दोनों अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
- 9.8 ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें उपर्युक्त पैरा 9.1, 9.2, एवं 9.3 में यथा-वर्णित उपबंधों के अनुसार प्रालिपिक की सहायता लेने की अनुमति दी गई है, तो उन्हें परीक्षा में प्रतिघंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा।
- 9.9 पैरा 9.1, 9.2, एवं 9.3 में संदर्भित अभ्यर्थी, जिन्हें प्रालिपिक की सहायता लेने की अनुमति दी गई है, परन्तु प्रालिपिक की सुविधा का लाभ नहीं लेते हैं, तो उन्हें भी परीक्षा में प्रतिघंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा।
- 9.10 परीक्षा परिसर के अन्दर पात्र अभ्यर्थियों के प्रालिपिक के अलावा किसी अन्य परिचर को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 9.11 बेंचमार्क दिव्यांगजन/ दिव्यांगजन अभ्यर्थी, जिन्होंने प्रालिपिक और / अथवा अतिरिक्त समय का लाभ लिया है, उन्हें उपयोगकर्ता विभाग द्वारा संचालित दस्तवेज सत्यापन के समय प्रालिपिक / अतिरिक्त समय की पात्रता के लिए संगत दस्तवेज अवश्य प्रस्तुत करने होंगे। ऐसे समर्थनकारी दस्तावेजों को प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में, परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया जाएगा।

10 आवेदन करने का तरीका और आवेदन शुल्क:

- 10.2 आवेदन-पत्र केवल ऑनलाइन मोड में कर्मचारी चयन आयोग मुख्यालय की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात् <https://ssc.nic.in> पर जमा करने होंगे। विस्तृत निर्देशों के लिए, कृपया इस विज्ञप्ति के अनुबंध- III और अनुबंध- IV का अवलोकन करें। एक-बारगी पंजीकरण का और ऑनलाइन आवेदन का नमूना प्रोफार्मा अनुबंध-III A और अनुबंध- IV A के रूप में संलग्न हैं।

- 10.3 ऑनलाइन आवेदन-पत्र में, अभ्यर्थियों को जेपीईजी/ जेपीजी प्रारूप में

स्कैन किए हुए रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटो (20 केबी से 50 केबी) अपलोड करनी होगी। फोटोग्राफ परीक्षा-विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तारीख से तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। फोटोग्राफ की छवि का आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। शांतनु कुमार एवं अन्य के मामले में रिट याचिका (सी) संख्या 234 ऑफ़ 2018 दिनांक 05.03.2020 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, अभ्यर्थी की फोटो परीक्षा विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। फोटोग्राफ बिना टोपी और बिना चश्मे के होना चाहिए। फोटो में चेहरे का अग्र भाग स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए।

- 10.4 आवेदन पत्र जमा करने से पहले, अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि फोटो दिए गए निर्देशों के अनुसार अपलोड किया गया है। यदि अभ्यर्थी द्वारा वांछित प्रारूप में फोटो अपलोड नहीं किया जाता है, तो उसका आवेदन/अभ्यर्थिता अस्वीकार या रद्द कर दी जाएगी। स्वीकार्य / अस्वीकार्य चित्रित करने वाले फोटोग्राफ के नमूने भी **अनुबंध-XV** में दिए गए हैं।
- 10.5 जेपीईजी/ जेपीजी प्रारूप में स्कैन किए गए हस्ताक्षर (10 से 20 केबी)। हस्ताक्षर का छवि आयाम लगभग 4.0 सेमी (चौड़ाई) x 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। अस्पष्ट / धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- 10.6 ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और समय 16.08.2023 (2300 बजे) है।
- 10.7 अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा न करें और अंतिम तिथि से बहुत पहले ऑनलाइन आवेदन जमा कर दें क्योंकि अंतिम दिनों में नेटवर्क व्यस्त होने के कारण संपर्क में बाधा हो सकती है और क.च.आ. की वेबसाइट पर लॉगइन करने में विफलता हो सकती है।
- 10.8 आयोग उक्त कारणों से या अपने नियंत्रण से परे किसी भी अन्य कारण से अभ्यर्थियों द्वारा अंतिम तिथि के भीतर अपने आवेदन प्रस्तुत न करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- 10.9 ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले प्रिंट/ विकल्प के माध्यम से अभ्यर्थियों को यह जांच कर लेनी चाहिए कि उन्होंने आवेदन के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा है।
- 10.10 देयशुल्क: 100/-रुपए (मात्र एक सौ रुपए)।
- 10.11 महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा), दिव्यांगजनों (दि.) और आरक्षण के लिए पात्र भूतपूर्व सैनिकों को शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है।

10.12 शुल्क का भुगतान भीम यू.पी.आई, नेटबैंकिंग अथवा वीजा, मास्टरकार्ड, मैस्ट्रो, रूपे क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड के माध्यम से अथवा एसबीआई शाखाओं में नकद जमा करके एसबीआई चालान बनवा करके किया जा सकता है।

10.13 अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका शुल्क कर्मचारी चयन आयोग में जमा हो गया है, यदि कर्मचारी चयन आयोग को शुल्क प्राप्त नहीं हुआ है, तो आवेदनपत्र की स्थिति **'Incomplete'** दर्शाएगा तथा यह सूचना आवेदनपत्र के शीर्ष पर मुद्रित होगी। इसके अलावा शुल्क भुगतान की स्थिति के बारे में अभ्यर्थी की लॉगइन स्क्रीन में मुहैया कराए गए लिंक **"Payment Status"** पर जांच की जा सकती है। ऐसे आवेदन, जिनकी स्थिति शुल्क भुगतान प्राप्त न होने के कारण अपूर्ण रहती है, उनको **सरसरी तौर पर निरस्त** कर दिया जाएगा तथा परीक्षा की विज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट अवधि के बाद ऐसे आवेदनों के शुल्क भुगतान के संबंध में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

10.14 एक बार जमा किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापिस नहीं किया जाएगा और न ही किसी अन्य परीक्षा अथवा चयन के लिए इसे समायोजित किया जाएगा।

11. आवेदन पत्र में संशोधन करने के लिए विंडो [17.08.2023 से 18.08.2023 (23:00 बजे)]:

11.2 आयोग ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, ऑनलाइन आवेदन संबंधी मापदंडों को सही / संशोधित करने के लिए अभ्यर्थियों को 02 दिन की अवधि प्रदान करेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार एकबारगी पंजीकरण / ऑनलाइन आवेदन डेटा में अपेक्षित संशोधन / परिवर्तन करने के बाद आवेदन फिर से जमा करने की अनुमति दी जाएगी।

11.3 किसी भी अभ्यर्थी को 'आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडो' के दौरान अपने आवेदन को संशोधित करने और संशोधित आवेदन को फिर से जमा करने के लिए दो बार अनुमति दी जाएगी, अर्थात् यदि उसने अपने अद्यतित आवेदन में भी गलती की है, तो उसे अपेक्षित सुधार / संशोधन करने के बाद एक बार फिर से सही आवेदन जमा करने की अनुमति दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में आवेदन पत्र में कोई और संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- 11.4 केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में संशोधन करने की अनुमति दी जाएगी, जिनके सभी प्रकार से पूरे ऑनलाइन आवेदन अपेक्षित शुल्क के भुगतान के साथ, आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त किए गए हैं।
- 11.5 लागू सुधार राशि प्राप्ति के अधीन, नवीनतम संशोधित आवेदन को वैध माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा जमा किए गए पिछले आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा।
- 11.6 आयोग पहली बार आवेदन पत्र में संशोधन करने और संशोधित/ सही आवेदन को जमा करने के लिए ₹ 200/- की एक समान सुधार राशि और दूसरी बार संशोधन करने और संशोधित/सही आवेदन को जमा करने के लिए ₹ 500/- की एक समान सुधार राशि लगाएगा। सुधार राशि सभी अभ्यर्थियों पर लागू होगी चाहे उनका लिंग / श्रेणी कुछ भी हो ।
- 11.7 यदि एसएससी द्वारा लागू सुधार शुल्क प्राप्त नहीं होते हैं, तो आवेदन पत्र की स्थिति 'अपूर्ण' दर्शाई जाती है और यह जानकारी आवेदन पत्र प्रिंटआउट के शीर्ष पर मुद्रित होती है। ऐसा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा पूर्व में प्रस्तुत आवेदन वैध रहेगा।
- 11.8 सुधार राशि का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग या वीजा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो, रुपये क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके किया जा सकता है।
- 11.9 एक बार भुगतान की गई सुधार राशि को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।
- 11.10 संशोधित आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थी यह जांच कर लें कि उन्होंने फार्म के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा है। 'आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडो' की अवधि के समाप्त होने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिवर्तन / सुधार / संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी माध्यम से प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

12 . परीक्षा केन्द्र

- 12.1 अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उस केन्द्र (केन्द्रों) को दर्शाना चाहिए

जिसमें वह परीक्षा देने का इच्छुक है। परीक्षा केन्द्रों के ब्यौरे तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के नाम, जिनके क्षेत्राधिकार में ये परीक्षा केन्द्र स्थित हैं, का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	परीक्षा केन्द्र और केंद्र कोड	कर्मचारी चयन आयोग क्षेत्र और उसके क्षेत्राधिकार के अधीन राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्रीय कार्यालयों के पते / वेबसाइट
1.	भागलपुर (3201), दरभंगा (3202), मुजफ्फरपुर (3205), पटना (3206), पूर्णिया (3209), आगरा (3001), बरेली (3005), गोरखपुर (3007), झांसी (3008), कानपुर (3009), लखनऊ (3010), मेरठ (3011), प्रयागराज (3003), वाराणसी(3013), सीतापुर (3019), गया (3203)	मध्य क्षेत्र (म.क्षे.) / बिहार और उत्तर प्रदेश	क्षेत्रीय निदेशक (म.क्षे) , कर्मचारी चयन आयोग , 34-ए, महात्मा गांधी मार्ग, सिविल लाइंस, केंद्रीय सदन, प्रयागराज -211 001 (http://www.ssc-cr.org)
2.	पोर्टब्लेयर (4802), धनबाद (4206), जमशेदपुर (4207), रांची (4205), बालासोर (4601), बेहरामपुर-गंजम (4602), भुवनेश्वर (4604), कटक (4605), कल्याणी (4419), राऊरकेला (4610), सम्बलपुर	पूर्वी क्षेत्र (पू.क्षे.) / अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल	क्षेत्रीय निदेशक (पू.क्षे), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम एमएसओ बिल्डिंग, (8 वां तल), 234/4, आचार्य जगदीशचंद्र बोस रोड, कोलकाता, पश्चिमबंगाल -700020 (www.sscer.or)

	(4609), गंगटोक (4001), आसनसोल (4417), कोलकाता (4410), सिलीगुड़ी (4415), बर्दवान (4422),, दुर्गापुर (4426)		g)
3.	बेलगवी (9002), बेंगलूरु (9001), हुबली (9011), कलाबुर्गी (गुलबर्गा) (9005), मेंगलूरु (9008), मैसूरु (9009), शिवमोगा (9010), उडुपी (9012), एरणाकुलम (9213), कोल्लम (9210), कोट्टयम (9205), कोझिकोड (9206), तिरुवनंतपुरम (9211), त्रिशूर (9212), कवारत्ती (9401)	कर्नाटक, केरल क्षेत्र (क.के.क्षे.) / लक्षद्वीप, कर्नाटक और केरल	क्षेत्रीय निदेशक (कर्नाटक केरल क्षेत्र), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, "ई" विंग, केन्द्रीय सदन, कोरमंगला बेंगलुरु,कर्ना टक-560034 <u>(www.ssckkr.k ar. nic.in)</u>
4.	भोपाल (6001), ग्वालियर (6005), इंदौर (6006), जबलपुर (6007), सतना (6014), सागर (6015), उज्जैन (6016). बिलासपुर (6202), रायपुर (6204), दुर्ग-भिलाई (6205)	मध्य प्रदेश उप-क्षेत्र (म.प्रे.क्षे.) / छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश	उप निदेशक (म.प्र.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, 5 वां तल, इनवेस्टमेंट बिल्डिंग, एलआईसी कैंपस-2, पंडरी, रायपुर, छत्तीसगढ़ - 492004 <u>(www.sscmpr. org)</u>
5.	इटानगर (5001),	पूर्वोत्तर क्षेत्र (पूर्वोक्षे.) /	क्षेत्रीय निदेशक

	डिब्रूगढ़ (5102), गुवाहाटी (दिसपुर) (5105), जोरहाट (5107), सिलचर (5111), तेजपुर (5112), इम्फाल (5501), शिलांग (5401), आइजोल (5701), कोहिमा (5302), अगरतला (5601)	अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा ।	(पूर्वो.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, हाउसफेड कॉम्प्लेक्स, लास्टगेट, बेलतला-बशिष्ठ रोड, डाकघर असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी, असम - 781006 www.sscner.org.in
6.	दिल्ली रा.रा.क्षे. (2201), अजमेर (2401), बीकानेर (2404), जयपुर (2405), जोधपुर (2406), सीकर (2411), उदयपुर (2409), देहरादून (2002), हल्द्वानी (2003), रुड़की (2006).	उत्तरी क्षेत्र (उ.क्षे.) / रा.रा.क्षे. दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड	क्षेत्रीय निदेशक (उ.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक संख्या 12, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003 www.sscnr.net.in
7.	चण्डीगढ़ (1601), हमीरपुर (1202), शिमला (1203), जम्मू (1004), लेह (1005), सांबा (1010), श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) (1007), भटिंडा (1401), अमृतसर (1404), जालंधर (1402), पटियाला (1403).	पश्चिमोत्तर उप क्षेत्र (पश्चिमो.क्षे.) / चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख तथा पंजाब	उप निदेशक (पश्चिमो.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक संख्या- 3, भूतल, केन्द्रीय सदन, सेक्टर-9, चंडीगढ़-160009 www.sscnwr.org
8.	चिराला (8011), गुंटूर (8001), काकीनाड़ा	दक्षिणी क्षेत्र (द.क्षे.) / आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी,	क्षेत्रीय निदेशक (द.क्षे.),

	(8009), कर्नूल (8003), नेल्लौर (8010), राजमुंदरी (8004), तिरुपति (8006), विजयवाड़ा (8008), विशाखापत्तनम (8007), विजयनगरम (8012), पुडुचेरी (8401), चेन्नई (8201) , कोयंबटूर (8202), मदुरै (8204), सलेम (8205), तिरुचिरापल्ली (8206), तिरुनेलवेली (8207), वेल्लोर (8208), हैदराबाद (8601), करीमनगर (8604), वारंगल (8603)	तमिलनाडु और तेलंगाना।	कर्मचारी चयन आयोग, दूसरा तल, ईवीके संपत बिल्डिंग, डीपीआई कैंपस, कॉलेज रोड, चेन्नई, तमिलनाडु -600006 (www.sscsr.gov.in)
9.	पणजी (7801), अहमदाबाद (7001) , आनन्द (7011), गांधीनगर (7012), मेहसाना (7013), राजकोट (7006) , सूरत (7007), वदोदरा (7002), अमरावती (7201), औरंगाबाद (7202), जलगांव (7214), कोल्हापुर (7203), मुंबई (7204), नागपुर (7205), नांदेड (7206), पुणे (7208)	पश्चिमी क्षेत्र (प. क्षेत्र) / दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र	क्षेत्रीय निदेशक (प.क्ष.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, दक्षिण विंग, प्रतिष्ठा भवन, 101, महर्षि कर्वे रोड, मुंबई, महाराष्ट्र- 400020 (www.sscwr.net)

12.2 कोई भी अभ्यर्थी प्राथमिकता के आधार पर एक ही क्षेत्र में तीन केंद्रों का विकल्प दे सकता है। किसी भी परिस्थिति में केंद्र परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर

बाद में विचार नहीं किया जाएगा । अतः अभ्यर्थियों को केंद्रों का चयन सावधानीपूर्वक करना चाहिए और अपने आवेदनों में इसे ठीक से इंगित करना चाहिए ।

12.3 आयोग को किसी भी केंद्र को रद्द करने और उस केंद्र के अभ्यर्थियों को किसी अन्य केंद्र से परीक्षा देने के लिए कहने का अधिकार है। आयोग को किसी भी केंद्र के अभ्यर्थी को परीक्षा देने के लिए किसी अन्य केंद्र पर स्थानांतरित करने का भी अधिकार है।

12.4 अभ्यर्थी द्वारा चुने गए परीक्षा केंद्रों पर अधिकार क्षेत्र रखने वाला क्षेत्रीय कार्यालय, परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थी को प्रवेश प्रमाणपत्र जारी करेगा। इस भर्ती से संबंधित अन्य सभी गतिविधियां उक्त क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा नियंत्रित की जाएंगी।

13 . परीक्षा की रूपरेखा

13.1 कम्प्यूटर आधारित परीक्षा नीचे सूचित किए गए दो पेपरों में होंगे:

13.1.1 पेपर-I

13.1.2 पेपर-II

पेपर	परीक्षा पद्धति	कीविषय	प्रश्नों संख्या/ अधिकतम अंक	कीअवधि
पेपर-I	कम्प्यूटर आधारित परीक्षा	(i) सामान्य बुद्धिमता एवं तर्कशक्ति	50/50	2 घंटे (उन अभ्यर्थियों के लिए 2 घंटे और 40 मिनट जिन्हें पैरा 9.1, 9.2 एवं 9.3 के अनुसार प्रलिपिक की सहायता लेने की अनुमति दी गई है ।)
		(ii) सामान्य जानकारी	50/50	
		(iii) (iii) <u>भाग-क:</u> सामान्य अभियांत्रिकी (सिविल एवं संरचनात्मक) या <u>भाग-ख:</u> सामान्य अभियांत्रिकी (वैद्युत) या <u>भाग-ग:</u>	100/ 100	

		सामान्य अभियांत्रिकी (यांत्रिक)		
पेपर-II	कंप्यूटर आधारित परीक्षा	भाग-क: सामान्य अभियांत्रिकी (सिविल एवं संरचनात्मक) या भाग-ख: सामान्य अभियांत्रिकी (वैद्युत) या भाग-ग : सामान्य अभियांत्रिकी (यांत्रिक)	100/300	2 घंटे (उन अभ्यर्थियों के लिए 2 घंटे और 40 मिनट जिन्हें पैरा 9.1, 9.2 और 9.3 के अनुसार प्रलिपिक की सहायता लेने की अनुमति दी गई है।)

13.2 अभ्यर्थियों को, ऑनलाईन आवेदन फार्म में, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, उनके द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार, पेपर-I और पेपर-II में सामान्य अभियांत्रिकी भाग (अर्थात् भाग-क, भाग-ख अथवा भाग-ग) हल करना होगा। दूसरे शब्दों में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद के लिए उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को पेपर-I और पेपर-II में भाग-क (सिविल एवं संरचनात्मक) हल करना होगा और कनिष्ठ अभियन्ता (वैद्युत) के पद के लिए उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को भाग-ख (वैद्युत) हल करना होगा और कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) के पद के लिए उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को पेपर-I और पेपर-II का भाग-ग (यांत्रिक) हल करना होगा, ऐसा न करने पर उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।

13.3 पेपर-I एवं पेपर-II में केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रश्न अंग्रेजी व हिंदी दोनों भाषाओं में होंगे।

13.4 दोनों पेपरों में प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। पेपर-I और पेपर-II के भाग-I, II और III में प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी में बनाए जाएंगे। पेपर-I और पेपर-II में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रश्न के लिए आवंटित अंकों के एक तिहाई के बराबर नकारात्मक अंक होगा। इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रश्नों का उत्तर देते समय इसे ध्यान में रखें।

13.5 अभ्यर्थियों को केवल पेपर-II के लिए अपना स्लाइड-रूल, कैलकुलेटर, लघुगणक टेबल और स्टीम टेबल लाने की अनुमति है। उन्हें पेपर-I में ये सहायता सामग्री इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है।

13.6 परीक्षा के पश्चात आयोग की वेबसाइट पर पेपर-I एवं पेपर-II के अनंतिम उत्तर कुंजियों को प्रदर्शित किया जाएगा। अभ्यर्थी उत्तर कुंजियों को देख सकते हैं तथा आयोग द्वारा दी गई समय-सीमा के भीतर अभ्यावेदन, यदि कोई है, 100 रुपए, जोकि अप्रतिदेय है, प्रति प्रश्न की दर से भुगतान करके केवल ऑनलाइन माध्यम से भेज सकते हैं उक्त विषय पर किसी भी अन्य माध्यम अर्थात् पत्र, आवेदन, ई-मेल, इत्यादि से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

13.7 कंप्यूटर आधारित परीक्षा, यदि बहू-पालियों में आयोजित की गई हो, में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को आयोग द्वारा जारी नोटिस सं-1-1/2018-पी&पी-I दिनांक-07.2.2019 में प्रकाशित सूत्र (फार्मूले) के प्रयोग से सामान्यीकृत किया जाएगा और ऐसे सामान्यीकृत अंकों का अंतिम योग्यता सूची और कट-ऑफ अंकों का निर्धारण करने के लिए उपयोग किया जाएगा।

13.8 विज्ञप्ति में दी गई परीक्षाओं की तारीखें अनंतिम हैं। परीक्षाओं की अनुसूची में कोई भी बदलाव केवल आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अभ्यर्थियों को सूचित किया जाएगा।

13.9 परीक्षा के किसी भी चरण/ पेपर (पेपरों) में अंकों के पुनर्मूल्यांकन / पुनः जाँच का कोई प्रावधान नहीं होगा। इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

14. निदर्शनात्मक पाठ्यक्रम

14.1 इंजीनियरी विषयों में प्रश्नों का स्तर लगभग अभियांत्रिकी (सिविल/वैद्युत/यांत्रिकी) में डिप्लोमा स्तर का होगा। सभी प्रश्न, एस आई यूनिट में सेट किए जाएंगे। पाठ्यक्रम के ब्यौरे नीचे दिये गए हैं:

14.2 पेपर-I

14.2.1 सामान्य बुद्धिमता एवं तर्कशक्ति: सामान्य बुद्धिमता के पाठ्यक्रम में शाब्दिक

और गैर-शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे । इस परीक्षण में सादृश्यता, समानता और भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेदक निरीक्षण, संबंध-अवधारणा, अंकगणितीय तर्कशक्ति, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या शृंखला आदि से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे । इस परीक्षण में अमूर्त विचार और प्रतीक तथा उनके संबंध, अंकगणितीय गणना तथा अन्य विश्लेषणात्मक कार्योंमें अभ्यर्थीकी योग्यता के परीक्षण हेतु तैयार किए गए प्रश्नों को भी शामिल किया जाएगा ।

14.2.2 सामान्य जानकारी:- इन प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण के संबंध में उसकी सामान्य जानकारी तथा समाज में इसके अनुप्रयोग की जांच करना होगा । समसामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन के अवलोकन के ऐसे मामलों के ज्ञान एवं वैज्ञानिक पहलुओं संबंधी अनुभव की जांच करने के लिए भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी भी शिक्षित व्यक्ति से की जाती है । इस परीक्षण में भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य राजनीति-व्यवस्था तथा वैज्ञानिक अनुसंधान इत्यादि से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे । ये प्रश्न ऐसे होंगे जिनके लिए किसी विषय के विशेष अध्ययन की जरूरत नहीं होती ।

14.2.3 सामान्य अभियांत्रिकी: सिविल एवं संरचनात्मक, वैद्युत तथा यांत्रिक:

14.2.3.1 भाग- क (सिविल अभियांत्रिकी)

निर्माण सामग्री, आकलन, लागत एवं मूल्यांकन, सर्वेक्षण, मृदा यांत्रिकी, द्रवचालिकी, सिंचाई अभियांत्रिकी, परिवहन अभियांत्रिकी, पर्यावरणीय अभियांत्रिकी ।

संरचनात्मक अभियांत्रिकी: संरचना का सिद्धांत, कंक्रीट प्रौद्योगिकी, आरसीसी डिजाइन, स्टील डिजाइन ।

14.2.3.2 भाग - ख (वैद्युत अभियांत्रिकी)

आधारभूत धारणा, परिपथ नियम, चुंबकीय परिपथ, एसी मूलभूत नियम, माप तथा मापन यंत्र, वैद्युत मशीनें, खंडशः किलावॉट मोटर तथा एकल प्रावस्था प्रेरण मोटर,

तुल्यकालिक यंत्र, उत्पादन, संचारण एवं वितरण, आकलन एवं लागत, उपयोगिता तथा वैद्युत ऊर्जा, मूल इलैक्ट्रॉनिक्स ।

14.2.3.3 भाग - ग (यांत्रिकी अभियांत्रिकी):

यंत्र एवं यंत्र डिजाइन का सिद्धांत, अभियांत्रिकी यांत्रिकी तथा पदार्थ प्रबलता । शुद्ध पदार्थ गुणधर्म, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, आईसी इंजन के लिए वायु मानक चक्र, आई सी इंजन निष्पादन, आई सी इंजन दहन, आई सी इंजन शीतलन एवं स्नेहन, रैंकिन चक्र पद्धति, बॉयलर, वर्गीकरण, विनिर्देश, समंजन एवं उपसाधन, वायु संपीडनी एवं उनके चक्र, प्रशीतन चक्र, प्रशीतन संयंत्र के सिद्धांत, तुंड एवं भाप टरबाइन।

तरल के गुणधर्म एवं वर्गीकरण, तरल स्थैतिकी, तरल दाब का मापन, तरल शुद्धगतिक, आदर्श तरल की गतिकी, प्रवाह दर के मापन का मूल सिद्धांत, द्रवचालित टरबाइन, अपकेन्द्री पम्प, इस्पात का वर्गीकरण ।

14.3 पेपर-II

14.3.1 भाग -क (सिविल एवं संरचनात्मक अभियांत्रिकी):

निर्माण सामग्री: भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, वर्गीकरण, मानक परीक्षण, सामग्रियों अर्थात् निर्माण प्रस्तर, सिलिकेटित आधारित सामग्री, सीमेंट (पोर्टलैंड), ऐस्बेस्टॉस उत्पाद, टिम्बर एवं काष्ठ आधारित उत्पाद, पटलन, बिटुमेनी सामग्री, पेंट, वार्निश का प्रयोग और निर्माण/उत्खनन ।

आकलन, लागत एवं मूल्यांकन: आकलन, तकनीकी शब्दावली, दरों का विश्लेषण, मापन की विधियां और इकाई, कार्य की मर्दें - मृदाबंध, ईंट कार्य (माड्यूली और परम्परागत ईंट), आर सी सी कार्य, शटरिंग, टिंबर कार्य, पेटिंग, फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, सीमांत दीवार, ईंट भवन, जल टैंक, सैप्टिक टैंक, बार बैंडिंग तालिका, केन्द्रीय रेखा विधि, मध्य-खण्ड सूत्र, समलंब सूत्र, सिम्सन का नियम, सैप्टिक टैंक का लागत आकलन, नम्य पेवमेंट्स, नल कूप, (ट्यूबवैल) एकल एवं संयुक्त फुटिंग्स, स्टील ट्रॅस, पाइल एवं पाइल-कैप्स । मूल्यांकन - मूल्य एवं लागत, कबाड़ मूल्य, बचाव मूल्य, निर्धारित मूल्य, घटती हुई निधि, अवमूल्यन एवं अपक्षय,

मूल्यांकन की विधि ।

सर्वेक्षणः सर्वेक्षण के सिद्धांत, दूरी मापन, श्रंखला सर्वेक्षण, प्रिज्मीय कम्पास की कार्य प्रणाली, कम्पास ट्रवर्सिंग, बेयरिंग्स, स्थानीय आकर्षण, प्लेन टेबल सर्वेक्षण, थियोडोलाइट मालारेखण, थियोडोलाइट का समायोजन, समतलन, समतलन में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषा, परिरेखण, वक्रता एवं अपवर्तन संशोधन, डम्पी लेवल के अस्थायी एवं स्थायी समायोजन, परिरेखण की विधियां, परिरेखा मानचित्र के प्रयोग, टैकिमितीय सर्वेक्षण, वक्र व्यवस्थापन, मृदा कार्य परिकलन, उन्नत सर्वेक्षण उपस्कर ।

मृदा यांत्रिकीः मृदा का उद्भव, प्रावस्था आरेख, परिभाषाएं- रिक्ति अनुपात, सूक्ष्मरंध्रता संतृप्ति की मात्रा, जलांश, मृदा कणों का विशिष्ट घनत्व, मात्रक भार, विभिन्न प्राचलों का घनत्व सूचक एवं परस्पर संबंध, कण आकार बंटन वक्र एवं उनके उपयोग । मृदा के सूचक गुणधर्म, अट्टरबर्ग की सीमा, आई एस आई मृदा वर्गीकरण एवं सुघट्यता चार्ट । मृदा की पारगम्यता, पारगम्यता गुणांक, पारगम्यता गुणांक का निर्धारण, परिरुद्ध एवं अपरिरुद्ध जलभृत्, प्रभावी प्रतिबल, बालुपंक, मृदाओं का संपिंडन, संपिंडन का सिद्धांत, संपिंडन की मात्रा, पूर्व-संपिंडन दाब, सामान्यतः संपिंडित मृदा, ई-लोग पी वक्र, चरम बस्ती का अभिकलन । मृदा की अपरूपण शक्ति, प्रत्यक्ष अपरूपण परीक्षण, पिच्छ अपरूपण परीक्षण, त्रिअक्षीय परीक्षण । मृदा संहनन, प्रयोगशाला संहनन परीक्षण, अधिकतम शुष्क घनत्व एवं इष्टतम नमी की मात्रा, पृथ्वी दाब सिद्धांत, सक्रिय एवं निष्क्रियभू दाब, मृदा की दिक्मान धारिता, प्लेट भार परीक्षण, मानक वेधन परीक्षण ।

द्रवचालितः तरल गुणधर्म, द्रवस्थैतिक, प्रवाह का मापन, बर्नूली का प्रमेय एवं इसके अनुप्रयोग, नली के माध्यम से प्रवाह, खुली वाहिकाओं में प्रवाह, बंधिका, अवनालिका, अधिप्लव मार्ग, पंप एवं टरबाइन ।

सिंचाई अभियांत्रिकीः परिभाषा, आवश्यकता, लाभ, सिंचाई के 2II प्रभाव, सिंचाई के प्रकार एवं विधियां, जलविज्ञान - वर्षा का माप, वाहजल गुणांक, वृषामापी, वर्षण से क्षय - वाष्पीकरण, अंतःस्यंदन आदि । फसलों की जल आवश्यकता, जलमान, डेल्टा और आधार काल, खरीफ एवं रबी फसलें, कमाण्ड क्षेत्र, समय कारक,

फसल अनुपात, अतिव्याप्ति भत्ता, सिंचाई दक्षता । विभिन्न प्रकार की नहरें, नहर सिंचाई के प्रकार, नहरों में जल की हानि । नहर लाइनिंग - प्रकार व लाभ । उथले एवं गहरे कुएं , कुएं से उपज । बंधिका एवं बांध, बंधिकाओं की असफलता एवं पारगम्य आधार, रेखाछिद्र एवं निघर्षण, केनेडी का क्रांतिक वेग का सिद्धान्त । लेसी का एकसमान प्रवाह का सिद्धान्त । बाढ़ की परिभाषा, कारण व प्रभाव, बाढ़ नियंत्रण की विधियां, जलाक्रांति, निवारक उपाय । भूमि उद्धार, मृदा की उर्वरता को प्रभावित करने के लक्षण, उद्देश्य, पद्धति, भूमि की निर्माण एवं उद्धार प्रक्रिया । भारत में प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं ।

परिवहन अभियांत्रिकी: राजमार्ग अभियांत्रिकी - अनुप्रस्थ काट घटक, ज्यामितीय डिजाइन, पेवमेंट के प्रकार, पेवमेंट सामग्री - समूह एवं बिटुमेन, विभिन्न परीक्षण, नमन एवं दृढ़ कुट्टिम के डिजाइन - जल परिबंध मैकेडम (डब्ल्यू बी एम) और आर्द्र मिश्र मैकेडम(डब्ल्यू एम एम), बजरी सड़क, बिटुमेनी निर्माण, दृढ़ कुट्टिम जोड़, कुट्टिम अनुरक्षण, राजमार्ग जलनिकास, रेलवे अभियांत्रिकी-स्थायी पथ के घटक-स्लीपर, बैलास्ट, साजो सामान तथा बंधक, पथ ज्यामिति, चिन्ह तथा क्रॉसिंग, पथ संधि, स्टेशन एवं यार्ड । यातायात अभियांत्रिकी - विभिन्न यातायात सर्वेक्षण, गति-प्रवाह-घनत्व एवं उनके अन्तरसंबंध, चौराहा एवं एकान्तरण, यातायात सिग्नल, यातायात प्रचालन, यातायात चिन्ह एवं अंकन, सड़क सुरक्षा ।

पर्यावरणीय अभियांत्रिकी: जल की गुणवत्ता, जल आपूर्ति के स्रोत, जल शोधन, जल का वितरण, स्वच्छता की आवश्यकता, मलजल प्रणाली, वृत्ताकार सीवर, अंडाकार सीवर, सीवर उपकरण, मलजल शोधन । सतही जल निकासी । ठोस अपशिष्ट प्रबंधन - प्रकार, प्रभाव, अभियांत्रिक प्रबंधन प्रणाली । वायु प्रदूषण - प्रदूषक, कारण, प्रभाव, नियंत्रण । ध्वनि प्रदूषण - कारण, स्वास्थ्य पर प्रभाव, नियंत्रण ।

संरचनात्मक अभियांत्रिकी:

संरचना के सिद्धान्त: प्रत्यास्थता अचर, बीमों के प्रकार- परिमित एवं अपरिमित, एकशः साधारण रूप में अवलंब देने वाले कैन्टीलीवर एवं प्रलंबी बीम के बंकन आघूर्ण एवं अपरूपण बल आरेख । आयातकार एवं वर्तुल खण्डों के लिए क्षेत्र का आघूर्ण एवं जड़त्व का आघूर्ण, शिखर (tee), वाहिकाओं एवं संयुक्त खण्डों,

चिमनियों, बांधों और धारक भित्तियों, उत्केन्द्र भार के लिए बंकन आघूर्ण और अपरूपण प्रतिबल, एकशः आधारित एवं कैंन्टीलीवर बीमों, क्रांतिक भार तथा स्तंभों, परिपथ खण्ड के ऐंठन का ढाल विक्षेपण।

कंक्रीट प्रौद्योगिकीः कंक्रीट की विशेषताएं, लाभ व उपयोग, सीमेंट पुंज, जल गुणवत्ता का महत्व, जल-सीमेंट अनुपात, सुकरणीयता, मिश्र डिजाइन, भण्डारण, बैचिंग, मिश्रण, नियोजन, संहनन, कंक्रीट की परिसञ्जा एवं संसाधन, कंक्रीट का गुणवत्ता नियंत्रण, गर्म मौसम एवं सर्द मौसम कंक्रीटिंग, कंक्रीट संरचनाओं की मरम्मत एवं रखरखाव ।

आरसीसी डिजाइनः आरसीसी बीम-आनमन सामर्थ्यता, अपरूपण सामर्थ्यता, आबंध सामर्थ्यता, एकत प्रबलित एवं दोहरे प्रबलित बीम के डिजाइन, कैंन्टीलीवर बीम । टी-बीम, लिनटल । एकमार्गी एवं द्विमार्गी स्लैब, विलग फुटिंग । प्रबलित ईंट कार्य, स्तंभ, सीढियां, धारक भित्ति, पानी की टंकी (आरसीसी डिजाइन प्रश्न सीमित स्तर एवं कार्यकारी प्रतिबल पद्धति दोनों पर आधारित हो सकते हैं)

स्टील डिजाइन: स्टील डिजाइन एवं स्टील स्तंभों का निर्माण, बीम छत ट्रस प्लेट गर्डर ।

14.3.2 भाग-ख (वैद्युत अभियांत्रिकी):

मूल संकल्पनाएः प्रतिरोध की संकल्पनाएं, प्रेरकत्व, संधारित्रता, एवं उनको प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक । धारा, वोल्टता, विद्युत, उर्जा की अवधारणाएं एवं उनकी इकाइयों की धारणा।

परिपथ नियमः किरचाफ़ का नियम, जाल प्रमेयों का प्रयोग करते हुए सरल परिपथ हल ।

चुंबकीय परिपथः गालक की धारणा, एम एम एफ, प्रतिष्टम्भ, विभिन्न प्रकार के चुंबकीय पदार्थ, विभिन्न विन्यास अर्थात् सीधा, वर्तुल, परिनालिकीय आदि के चालक के लिए चुंबकीय परिकलन । विद्युत-चुम्बकीय प्रेरण, स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण ।

ए सी मूल सिद्धान्तः तात्कालिक, शिखर, प्रत्यावर्ती तरंगों के आर.एम.एस. तथा औसत मूल्य, ज्यावक्रीय तरंग रूप का निरूपण, आर.एल.और सी वाला समान्तर ए सी

परिपथ, अनुनाद, टंकी परिपथ, बहुकली तंत्र - तारा एवं डेल्टा संबंधन, 3 प्रावस्था विद्युत, आर-एल और आर-सी परिपथ का डी सी और ज्यावक्रीय अनुक्रिया ।

मापन एवं मापक यंत्र: विद्युत (1 प्रावस्था एवं 3 प्रावस्था, सक्रिय एवं पुनः सक्रिय दोनों) एवं ऊर्जा का मापन, 3 प्रावस्था विद्युत मापन की 2 वाटमापी विधि । बारंबारता एवं कला-कोण का मापन । एम्मापी एवं वोल्टमापी (चल तेल और चल लोह दोनों प्रकार), परिसर वाटमापी का विस्तार, बहुमापी, मेगर, ऊर्जा मीटर ए सी सेतु । सीआरओ का उपयोग, संकेत जनित्र, सीटी, पीटी एवं उनके उपयोग । भू संपर्क दोष अभिज्ञान ।

वैद्युत यंत्र:(क) डीसी यंत्रनिर्माण- डीसी मोटर और जनित्र के मूल सिद्धान्त, उनकी विशेषताएं, डीसी मोटर का गति नियंत्रण और प्रवर्तन । ब्रेक मोटर विधि, डीसी यंत्रों का क्षय व दक्षता । (ख) 1 प्रावस्था और 3 प्रावस्था ट्रांसफार्मर - निर्माण, प्रचालन के सिद्धान्त, तुल्यमान परिपथ, वोल्टता नियमन, ओ.सी. और एस.सी. परीक्षण, क्षय एवं दक्षता । वोल्टता, बारंबारता तथा तरंग रूप के क्षय के प्रभाव । 1 प्रावस्था एवं 3 प्रावस्था ट्रांसफॉर्मरों का पार्श्व प्रचालन । ऑटोट्रांसफॉर्मर । (ग) 3 प्रावस्था प्रेरणी मोटर, घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र, प्रचालन के सिद्धान्त, तुल्यमान परिपथ, ऐंठन-गति अभिलक्षण, 3 प्रावस्था प्रेरणी मोटर का प्रवर्तन एवं चाल नियंत्रण । ब्रेक की विधियां, ऐंठन गति अभिलक्षण पर वोल्टता एवं बारंबारता विविधता के प्रभाव।

खंडशःकिलोवाट मोटर्स और एकल प्रावस्था प्रेरणी मोटर: विशेषताएं और प्रयोग

तुल्यकालिक मशीन -3-प्रावस्था इ.एम.एफ.आर्मेचर प्रतिक्रिया का उत्पादन, वोल्टेज नियंत्रण, दो प्रत्यावर्तितंत्रों का समांतर प्रचालन, तुल्यकालिकता, सक्रिय और प्रतिघाती शक्ति का नियंत्रण, तुल्यकालिक मोटर की स्टार्टिंग और उनका प्रयोग ।

उत्पादन, पारेसण और वितरण -अलग-अलग प्रकार के विद्युत केन्द्र, उद्धार गुणक, विविधता अनुपात, मांग घटक, उत्पादन लागत, विद्युत केन्द्रों का आपसी कनेक्शन विद्युत गुणक सुधार, विभिन्न प्रकार के शुल्क, दोषों के प्रकार, सममित दोषों के लिए शार्ट सर्किट धारा, स्विचगियर-परिपथ वियोजक का अनुमतांक, तेल और वायु द्वारा चाप विलोम का सिद्धान्त, एच आर सी फ्यूज, भू-संपर्क रिसाव/अति धारा

आदि के प्रति सुरक्षा । बकोल्ज रिले, जनित्रों और ट्रांसफार्मर्स की सुरक्षा की मर्ज-प्राइस प्रणाली, फीडर्स और बस बार्स की सुरक्षा, तडित् निवर्तक, विभिन्न संचारण और वितरण प्रणाली, चालक पदार्थोंकी तुलना, विभिन्न प्रणालियों की सक्षमता, रज्जु- अलग-अलग प्रकार के रज्जु, रज्जु कोटि निर्धारण और अनुमतांक निम्नन गुणक ।

आकलन और लागत: प्रकाश योजना का निर्धारण, मशीनों का विद्युत प्रतिष्ठापन और संगत आई इ नियम, भूसंपर्कन व्यवहार और आई इ नियम ।

वैद्युत ऊर्जा का उपयोग: प्रदीप्ति, वैद्युत तापन, वैद्युत वेल्डिंग, इलैक्ट्रोप्लेटिंग , विद्युत परिचालन और मोटर्स ।

मूलभूत इलैक्ट्रॉनिकी: विविध इलैक्ट्रॉनिकी साधनों का कार्यचालन, उदाहरण के लिए पी.एन.जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर (एन पी एन और पी एन पी प्रकार), बी जे टी और जे एफ इ टी । इन साधनों का प्रयोग करते हुए साधारण परिपथ ।

14.3.3 भाग-ग (यांत्रिक अभियांत्रिकी):

यंत्र और यंत्र डिजाइन का सिद्धांत :

साधारण मशीन की संकल्पना, चार रोध संयोजन और बंध गति, गतिपालक चक्र और ऊर्जा का उच्चावचन, बैल्ट्स-वी बैल्ट्स और सपाट वैल्ट्स द्वारा विद्युत संचारण, क्लच-प्लेट और शंक्वाकार क्लच, गियर-गियर के प्रकार, गियर प्रोफाइल और गियर अनुपात गणना, नियामक-सिद्धांत और वर्गीकरण, कीलक संधि, कैम, बियरिंग, कॉलर्स और धुराग्र में घर्षण ।

इंजीनियरिंग यांत्रिकी और पदार्थ की प्रबलता:

बलों की साम्यावस्था, गति का नियम, घर्षण, प्रतिबल और विकृति की संकल्पना, लचकदार सीमा और लचकदार स्थिरांक, बंकन आघूर्ण और अपरूपण बल आरेख, सम्मिश्र रोध में प्रतिबल, गोलाकार कूपक का विमोटन, स्तंभों का चूर्णन-यूलर्स और रैंकिन्स का सिद्धांत, महीन भित्ति वाली दाब वाहिकाएं ।

तापीय अभियांत्रिकी:

शुद्ध पदार्थों के गुण- धर्म: H₂O जैसे शुद्ध पदार्थ का P-V एवं P-T आरेख, भाप

जनन प्रक्रिया के संबंध में भाप सारणी परिचय, संतृप्ति की परिभाषा, आर्द्र और अतिताप स्थिति, शुष्कता अंश की परिभाषा, भाप के अंश, भाप की अतिताप का स्तर, भाप का h-s चार्ट (मोलियर चार्ट) ।

ऊष्मागतिकी का पहला नियम: संचित ऊर्जा एवं आंतरिक ऊर्जा की परिभाषा, चक्रीय परिभाषा की ऊष्मागतिकी का पहला नियम, अप्रवाह ऊर्जा समीकरण, प्रवाह ऊर्जा एवं पूर्णोष्म की परिभाषा, स्थायी दशा स्थायी प्रवाह की अवस्थाएं, स्थायी दशा स्थायी प्रवाह ऊर्जा समीकरण ।

ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम: निमज्जन की परिभाषा, ऊष्मा भंडार स्रोत, ऊष्मा इंजन, ऊष्मा पंप एवं रेफ्रिजरेटर ऊष्मा इंजन की ऊष्मीय दक्षता एवं रेफ्रिजरेटर के निष्पादन की सह-दक्षता , ऊष्मागतिकी के द्वितीय सिद्धांत का कलविन-पलंक एवं क्लासियस स्टेटमेंट, तापमान का पूर्ण अथवा ऊष्मागतिकी पैमाना, क्वासियस इंटीग्रल, एन्ट्रॉपी आदर्श गैस प्रक्रिया की एन्ट्रॉपी परिवर्तन गणना, कॉरनट चक्र एवं कॉरनट दक्षता, पी एम एम-2, इसकी परिभाषा एवं असंभावना ।

आई सी इंजनों के लिए वायु मानक चक्र: ओटो चक्र, पी-वी पर प्लॉट, टी-एस प्लेन्स, तापीय दक्षता, डीजल चक्र, पी-वी पर प्लॉट, टी-एस प्लेन्स, तापीय दक्षता ।
आई सी इंजन निष्पादन, आई सी इंजन दहन, आई सी इंजन कूलिंग एवं स्नेहन

भाप का रैन्किन चक्र: पी-वी पर साधारण रैन्किन चक्र प्लॉट, टी-एस, एच-एस प्लेन्स, पंप कार्य के साथ व उसके बिना रैन्किन चक्र दक्षता ।

बॉयलर; वर्गीकरण; विनिर्देशन; समंजन एवं सहायक उपकरण: फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूब बॉयलर

वायु-संपीडक एवं उनके चक्र; प्रशीतन चक्र; प्रशीतन संयंत्र का सिद्धांत; नोजल एवं भाप टरबाइन

तरल - यांत्रिकी एंड मशीनरी:

तरल का गुण-धर्म एवं वर्गीकरण: आदर्श एवं वास्तविक तरल, न्यूटन का श्यानता का सिद्धांत, न्यूटोनियन एवं नान- न्यूटोनियन तरल, संपीड्य एवं गैर-संपीड्य तरल ।

तरल प्रतिदर्शजः एक बिंदु पर दाब ।

तरल दाब का मापः मैनोमीटर, यू-ट्यूब, इन्क्लाइन्ड ट्यूब ।

तरल शुद्धगतिकः स्टीम लाइन, स्तरीय एवं प्रक्षुब्ध बहाव, बाहरी एवं आंतरिक बहाव, सांतत्य समीकरण ।

आदर्श तरल की गतिकीः बरनोली के समीकरण, टोटल हैड, वेग हैड, दाब हैड, बरनोली के समीकरण का अनुप्रयोग।

प्रवाह दर का मापन मूल भूत सिद्धांतः वैन्टूरीमापी, पायलट ट्यूब, आरिफिस मीटर ।

हाइड्रोलिक टरबाइनः वर्गीकरण, सिद्धांत ।

अपकेन्द्री पंपः वर्गीकरण, सिद्धांत, निष्पादन ।

उत्पादन प्रदर्शन अभियांत्रिकीः

स्टील का वर्गीकरण : मृदु स्टील एवं मिश्र धातु स्टील, स्टील का ऊष्मा-उपचार, वैल्विंग-आर्क संधान, गैस संधान, प्रतिरोध संधान, विशेष संधान तकनीके अर्थात् टीआईजी, एमआईजी इत्यादि (ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग), संधान विक्षेप एवं टेस्टिंग, एनडीटी, फाउंडरी एंड कास्टिंग-विधि (प्रणाली), विक्षेप, विभिन्न कास्टिंग प्रक्रियाएं, फोर्जिंग, बर्हिवेधन इत्यादि मेटल कटिंग सिद्धांत, कटिंग टूल्स, (i) लेथ (ii) पेषण (iii) वेधन (iv) रूपण (v) घर्षण, मशीन, टूल्स एवं निर्माण प्रक्रिया से संबंधित मशीनीकरण के मूल सिद्धांत।

15. परीक्षा में प्रवेशः

15.1 उन सभी अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बैठने हेतु रोल नंबर दिया जाएगा और प्रवेश-पत्र जारी किया जाएगा, जो इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतिम तारीख और समय तक अपना पंजीकरण कराते हैं और जिनके आवेदन सुट यवस्थित पाए जाते हैं और आयोग द्वारा परीक्षा की इस विज्ञप्ति में दी गई शर्तों के अनुसार अनंतिम या अस्थायी रूप से स्वीकार किए जाते हैं। तदनंतर, अर्हक अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले स्तर के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे।

- 15.2 आयोग परीक्षा के समय पात्रता और अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत जांच नहीं करेगा और इसलिए, अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को शैक्षिक योग्यता, अनुभव, आयु आदि की आवश्यकताओं के बारे में पढ़ने और उनके बारे में स्वयं को संतुष्ट करने की सलाह दी जाती है कि वे उक्त पद (पदों) के लिए पात्र हैं। उनकी शैक्षिक योग्यता और जाति / श्रेणी आदि के समर्थन में प्रमाणपत्र / दस्तावेजों की प्रतियां मांगकर्ता / प्रयोक्ता विभागों / कार्यालयों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय मांगी जाएंगी। अभ्यर्थी यह भी नोट करें कि आयोग द्वारा मांगे जाने पर उन्हें अपने प्रमाणपत्र / शै.यो. / जाति / श्रेणी आदि के दस्तावेज जमा करने होंगे। शै.यो. / जाति / श्रेणी आदि के प्रमाण-पत्रों / दस्तावेजों की जांच के बाद, यदि आवेदन में किया गया कोई दावा प्रमाण-पत्रों / दस्तावेजों से सिद्ध नहीं होता है, तो अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
- 15.3 परीक्षा के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र, आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। परीक्षा के किसी भी स्तर के लिए प्रवेश पत्र डाक द्वारा जारी नहीं किए जाएंगे। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की अद्यतन जानकारी एवं सूचना के लिए नियमित रूप से कर्मचारी चयन आयोग मुख्यालय (अर्थात् <https://ssc.nic.in>) और संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइटों को जिसके क्षेत्राधिकार में अभ्यर्थी द्वारा चयनित परीक्षा केंद्र अवस्थित (पैरा-12.1 पर ब्योरा) है का अवलोकन करते रहें।
- 15.4 परीक्षा के बारे में सूचनाएं, जिसमें परीक्षा की समय-सारणी और प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए परीक्षा का शहर/केंद्र की जानकारी होगी, परीक्षा की तारीख से लगभग दो सप्ताह पहले आयोग के संबंधित क्षेत्रीय केंद्रों की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा की तारीख से एक सप्ताह पूर्व तक अपना ब्योरा आयोग की वेबसाइट पर प्राप्त होता है, तो उसे तत्काल आवेदन प्रस्तुत करने के अपने प्रमाण के साथ आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। ऐसा न करने पर वह परीक्षा में बैठने के अपने दावे पर विचार किए जाने से वंचित हो जाएगा।
- 15.5 अभ्यर्थी को आयोग के साथ कोई भी पत्राचार करते समय अपना पंजीकरण आईडी, पंजीकृत ईमेल आईडी, अपने नाम सहित मोबाइल नम्बर, जन्म तिथि और परीक्षा का नाम अवश्य लिखना चाहिए। इन विवरणों के न दिए जाने पर अभ्यर्थी के पत्राचार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

15.6 परीक्षा से 3-7 दिन पहले प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा संबंधित क्षेत्रीय/ उपक्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र का प्रिंटआउट परीक्षा हॉल में लाना होगा।

15.7 प्रवेश-पत्र के अलावा, अभ्यर्थी को हाल के दो पास पोर्ट आकार के रंगीन फोटो, प्रवेश-पत्र पर छपी जन्म-तिथि के प्रमाण के लिए फोटो लगा कम से कम एक पहचानपत्र मूलरूप में अपने साथ लाना होगा, जैसे-

15.7.1. आधार कार्ड / ई आधार का प्रिन्ट आउट

15.7.2 मतदाता कार्ड

15.7.3 डाइविंग लाइसेंस

15.7.4 पैन कार्ड

15.7.5 पासपोर्ट

15.7.6 विद्यालय / कॉलेज द्वारा जारी पहचान पत्र

15.7.7 नियोक्ता पहचान-पत्र (सरकारी/उपक्रम/निजी) आदि

15.7.8 रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक की सेवा-मुक्ति पंजिका, केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान-पत्र

15.8 यदि फोटो पहचान पत्र में जन्म तिथि नहीं दी गई है तो अभ्यर्थी को अपनी जन्म-तिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त मूल दस्तावेज (अर्थात् सीबीएसई/ आईसीएसई/ राज्य बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र, मार्क्सशीट;, जन्म प्रमाणपत्र, श्रेणी प्रमाणपत्र आदि) अवश्य लाना चाहिए। यदि प्रवेश प्रमाण-पत्र और जन्म-तिथि के प्रमाण के रूप में लाए गए फोटो पहचान-पत्र / प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म-तिथि मेल नहीं खाती है तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा।

15.9 पैरा 9.1, 9.2 और 9.3 के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांगजन/ दिव्यांग अभ्यर्थी जो प्रलिपिक की सुविधा का उपयोग करेंगे, उन्हें यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षित मेडिकल सर्टिफिकेट / वचनपत्र / प्रालिपिक के फोटो पहचान पत्र की फोटोकॉपी लानी होगी। उपरोक्त दस्तावेजों के बिना अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

15.10 अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित होने के दौरान प्रवेश प्रमाणपत्र में उल्लिखित कोई अन्य दस्तावेज भी ले जा सकता है।

15.11 धुंधले फोटोग्राफ और / या हस्ताक्षर वाले आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।

16. दस्तावेजसत्यापन (डी.वी.): सरकार द्वारा भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्णय

को देखते हुए, आयोग ने निर्णय लिया है कि दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) मांगकर्ता संगठनों/ कार्यालयों द्वारा किया जाएगा ।

16.1 कर्मचारी चयन आयोग प्रयोक्ता विभागों/संगठनों द्वारा रिपोर्ट की गई रिक्तियों के अनुसार कार्मिकों की भर्ती करता है। आयोग की उपयोगकर्ता विभागों/ संगठनों में उत्पन्न होने वाली कुल रिक्तियों(ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज) के निर्धारण, बैकलॉग रिक्तियों, विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के तहत रिक्तियों के पृथक्करण और सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के निर्धारण में कोई भूमिका नहीं है। परीक्षा के अंतिम परिणाम की घोषणा के बाद, चयनित अभ्यर्थियों के डोजियर उपयोगकर्ता विभागों/ संगठनों को अग्रेषित किए जाते हैं। प्रयोक्ता विभाग/ संगठन अंतिम परिणाम की घोषणा के बाद अग्रेषित डोजियर को स्वीकार करेंगे। कोई भी उपयोगकर्ता विभाग /संगठन क्षैतिज रिक्तियों की अनुपलब्धता के आधार पर या इस आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के डोजियर को वापस नहीं करेगा कि एक क्षैतिज रिक्ति मौजूद है लेकिन उस श्रेणी के डोजियर को आयोग द्वारा प्रदान नहीं किया गया है।

16.2 कर्मचारी चयन आयोग अंतिम परिणाम की घोषणा से पहले उपयोगकर्ता विभागों/संगठनों से रिक्तियों की पुष्टि करता है। अंतिम परिणाम घोषित किया जाता है और नामांकन/ सिफारिशें केवल ऐसी पुष्ट रिक्तियों के लिए की जाती हैं। इसलिए, उपयोगकर्ता विभाग/संगठन किए गए नामांकन और उन्हें भेजे गए डोजियर को स्वीकार करेंगे। यदि कोई विभाग/ संगठन समाप्त हो जाता है, पुनर्गठित हो जाता है, या किसी अन्य विभाग/ मंत्रालय/ संगठन के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थानांतरित हो जाता है, तो उसका उत्तराधिकारी/ प्रशासनिक विभाग/ मंत्रालय डोजियर स्वीकार करेगा। यदि मंत्रालय स्तर तक संगठनों का संपूर्ण पदानुक्रम समाप्त हो जाता है, तो जिस मंत्रालय/विभाग को इसका कार्य हस्तांतरित किया गया है, वह डोजियर्स को स्वीकार करेगा। यदि संगठन/विभाग का कार्य किसी अन्य विभाग/मंत्रालय को हस्तांतरित नहीं किया गया है, तो विभाग/मंत्रालय जिसका कार्य पूर्व के कार्य से निकटता से संबंधित है, डोजियर को स्वीकार करेगा। इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

16.3 अंतिम परिणाम आयोग द्वारा केवल एक बार घोषित किया जाएगा और अभ्यर्थियों के प्रस्तावित पदों में कार्यभार नहीं ग्रहण करने की स्थिति में अभ्यर्थियों का कोई और नामांकन नहीं किया जाएगा। इस प्रकार, अंतिम परिणाम की घोषणा के बाद, उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता, अभ्यर्थियों के कार्यभार नहीं ग्रहण करने या किसी अन्य कारण से खाली रह गई रिक्ति (रिक्तियां), यदि कोई हों, उस भर्ती वर्ष में नहीं भरी जाएंगी और मांगकर्ता मंत्रालय/ विभाग/ संगठन उन रिक्तियों को अगले

भर्ती चक्र में ले जा सकता है और मौजूदा नियमों के अनुसार आयोग को रिपोर्ट कर सकता है।

16.4 आयोग की नीति के अनुसार, एसएससी आयोग द्वारा आयोजित बहु-कारक परीक्षाओं के लिए प्रतीक्षा सूची / आरक्षित पैनल नहीं रखता है। ऐसे मामलों में, विभाग मौजूदा नियमों के अनुसार रिक्तियों को आगे बढ़ाने के संबंध में आगे की कार्रवाई कर सकते हैं।

16.5 अभ्यर्थियों को संबंधित प्राधिकारी (यों) द्वारा मांगे जाने पर पैरा 16.6 में दर्शाए गए फोटोकॉपी और मूल दस्तावेजों के साथ दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होना आवश्यक है।

16.6 उपयोगकर्ता संगठनों/ कार्यालयों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थियों को विभिन्न दस्तावेजों की प्रतिलिपि जमा करनी होगी जैसे:-

- (i) मैट्रिकुलेशन / माध्यमिक प्रमाणपत्र
- (ii) शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र
- (iii) अनुभव प्रमाण-पत्र, अगर लागू हो ।
- (iv) जाति / वर्ग प्रमाण-पत्र, यदि आरक्षित वर्ग से हैं।
- (v) निर्धारित प्रपत्र में दिव्यांगजन प्रमाण-पत्र, अगर लागू हो ।
- (vi) भूतपूर्व सैनिक के लिए :
 - (क) अनुबंध-VI के अनुसार वचन-पत्र ।
 - (ख) अनुबंध-V के अनुसार कार्यरत रक्षाकर्मी प्रमाण-पत्र, यदि लागू हो ।
 - (ग) सेवा-मुक्ति प्रमाण-पत्र, यदि अभ्यर्थी सशस्त्र सेना से सेवा-मुक्त हुआ

हो ।

(vii) आयु-सीमा में छूट मांगने वालों के लिए संबन्धित दस्तावेज ।

(viii) अनापत्ति प्रमाण-पत्र, सरकारी / सरकारी-उपक्रम में कार्यरत अभ्यर्थी के लिए ।

(ix) जो अभ्यर्थी मैट्रिकुलेशन के बाद, शादी, दूसरी शादी या तलाक के बाद नाम परिवर्तन का दावा करता है, उन्हें निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे :

(क) महिला की शादी के मामले में :- पति के पासपोर्ट की प्रतिलिपि जिसमें पत्नी का नाम लिखा हुआ हो या विवाह-रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित-प्रतिया शपथ- आयुक्त के सामने पति-पत्नी द्वारा लिया गया शपथ संबंधी संयुक्त फोटो लगा हलफनामा ।

- (ख) महिला की दूसरी शादी के मामले में :-तलाकनामा / या पहले पति की अगर मृत्यु हो चुकी हो तो मृत्यु प्रमाण-पत्र और वर्तमान पति के पासपोर्ट की प्रतिलिपि जिसमे पत्नी का नाम लिखा हुआ हो या विवाह-रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित-प्रतियां शपथ-आयुक्त के सामने पति-पत्नी द्वारा लिया गया शपथ संबंधी संयुक्त फोटो लगा हलफनामा ।
- (ग) महिला के तलाक के मामले में :- तलाकनामे की प्रमाणित-प्रति और एक पक्षीय विलेख/ शपथ-आयुक्त के सामने लिया गया शपथ संबंधी हलफनामा ।
- (घ) दूसरी परिस्थितियों में पुरुष और महिला दोनों के नाम परिवर्तन के लिए:- एक पक्षीय विलेख/ शपथ-आयुक्त के सामने लिया गया शपथ संबंधी हलफनामा और दो प्रमुख दैनिक अखबारों में प्रकाशित अखबार की मूल कटिंग (एक दैनिक अखबार अभ्यर्थी के स्थायी और वर्तमान पते या आस-पास के क्षेत्र की होनी चाहिए।) या गज़ट अधिसूचना ।
- (ख) प्रवेश-पत्र में उल्लिखित दस्तावेज़-सत्यापन के लिए जरूरी कोई अन्य दस्तावेज़ ।
- (xi) यह पुनः कहा जाता है कि शै.यो./जाति/श्रेणी आदि के प्रमाणपत्रों/ दस्तावेजों की जांच के बाद, यदि आवेदन में किए गए किसी दावे की पुष्टि दस्तावेज़ सत्यापन के समय या किसी भी स्तर पर प्रमाणपत्रों/ दस्तावेजों द्वारा नहीं की जाती है, अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

17 पद वरीयता :

17.1 अंतिम परिणाम घोषित होने से पहले आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन विकल्प प्रपत्र के जरिए अभ्यर्थियों से विभिन्न पदों और विभागों के लिए प्राथमिकता ली जाएगी । यदि किसी अभ्यर्थी ने पद और संगठन / कार्यालय के लिए अपनी वरीयता नहीं दर्शाई है, तो उसके नाम पर उस पद और संगठन / कार्यालय के लिए विचार नहीं किया जाएगा । एक बार दिए गए विकल्पों को अंतिम माना जाएगा और बाद में किसी भी परिस्थिति में इन्हें बदला नहीं जाएगा । इसलिए अभ्यर्थियों को ऐसे विकल्पों को देते समय सावधानी बरतनी चाहिए ।

17.2 अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए विकल्प / वरीयता को अंतिम और अपरिवर्तनीय माना जाएगा । अभ्यर्थियों द्वारा पद / विभाग में परिवर्तन किए जाने संबंधी बाद में किए गए किसी भी अनुरोध पर किन्हीं भी परिस्थितियों में विचार नहीं किया जाएगा । यदि अभ्यर्थी ने किसी पद / विभाग के लिए विकल्प नहीं दिया है तो मेरिट में स्थिति चाहे जो भी हो

उनके नाम पर उस पद के लिए विचार नहीं किया जाएगा । इसलिए अभ्यर्थियों को पदों की वरीयता देते समय यथेष्ट ध्यान रखना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए ।

17.3 जो अभ्यर्थी निर्धारित समय के भीतर आयोग की वेबसाइट पर अपनी पद वरीयताएं प्रस्तुत नहीं करते हैं, उनके लिए अंतिम परिणाम में किसी भी पद हेतु विचार नहीं किया जाएगा । ऐसे अभ्यर्थियों को पदों के लिए वरीयता देने का कोई और अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा और वे ही इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे । इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी रूप में प्राप्त किसी भी शिकायत पर आयोग द्वारा कार्रवाई नहीं की जाएगी ।

17.4 बीआरओ में कनिष्ठ अभियंता के पदों के लिए शारीरिक क्षमता परीक्षण सहित शारीरिक और चिकित्सीय मानकों की अत्यधिक अपेक्षाएं हैं (विवरण अनुबंध-XV में उपलब्ध है) । बीआरओ द्वारा अभ्यर्थियों का अंतिम चयन करने के पश्चात इन शारीरिक और चिकित्सा मानकों की जांच की जाएगी । यदि कोई अभ्यर्थी ऐसे परीक्षणों में विफल रहता है, तो किसी अन्य पद / विभाग के लिए उसकी अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जाएगा । इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इन आवश्यकताओं को पूरी तरह पढ़ ले और अच्छी तरह सोच-विचार करके पदों के लिए वरीयता दें ।

18. चयन का तरीका :

18.1 पेपर-I और पेपर-II में न्यूनतम अर्हक अंक निम्नानुसार हैं:-

अना.	:	30 %
अ.पि.व/अ.क.व	:	25 %
अन्य	:	20 %

18.2 अभ्यर्थियों को (पेपर-I) अर्थात् कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्त किए गए सामान्यीकृत अंकों के आधार पर पेपर-II में बैठने हेतु श्रेणी-वार शार्टलिस्ट किया जाएगा । यदि पेपर-II कई पालियों में आयोजित किया जाता है तो आयोग को पेपर-II के अंकों को सामान्यीकृत करने का अधिकार होगा और अन्य बातों के साथ-साथ श्रेणी-वार रिक्तियों और अभ्यर्थियों की श्रेणी-वार संख्या का ध्यान रखते हुए पेपर-I और पेपर-II के प्रत्येक भाग में विभिन्न न्यूनतम अर्हक अंक निर्धारित करने का अधिकार होगा ।

18.3 अंतिम चयन और संगठनों / विभागों का आवंटन अभ्यर्थियों के पेपर-I + पेपर-II में उनके प्रदर्शन और दस्तावेज सत्यापन के समय पदों / विभागों के लिए उनके द्वारा दी गयी वरीयता के आधार पर किया जाएगा ।

18.4 अभ्यर्थियों की योग्यता-सह-अभ्यर्थियों द्वारा दी गई पदों / विभागों की वरीयताओं के आधार पर पदों का अंतिम आवंटन किया जाता है और पद का आवंटन करने के पश्चात किसी पद की शारीरिक / चिकित्सीय/ शैक्षिक मानकों की विशिष्ट अपेक्षाओं

को पूरा न करने के कारण आयोग द्वारा पदों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा । अन्य शब्दों में, उदाहरणतः यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा किसी पद के लिए उच्चतर वरीयता दी गई है और वह उस पद के लिए चयनित हो जाता / जाती है, तो ऐसे मामले में यदि वह चिकित्सा / शारीरिक / शैक्षिक मानकों को पूरा करने में असफल रहता / रहती है तो उसकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया जाएगा और अन्य पद के लिए उसके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा ।

18.5 अजा, अजजा, अपिव, आकव और दि. श्रेणी के अभ्यर्थी जो मानकों में छूट दिए बिना ही अपनी योग्यता से चयनित होते हैं तो उन्हें आरक्षित रिक्तियों के समक्ष समायोजित नहीं किया जाएगा । ऐसे अभ्यर्थियों को योग्यता सूची में उनकी समग्र स्थिति अथवा उनकी श्रेणी के लिए उद्दिष्ट की गई रिक्तियों के अनुसार सामान्य / अनारक्षित रिक्तियों में उस पद से सहयोजित किया जाएगा, जो उनके लिए लाभप्रद है । आरक्षित रिक्तियां अलग से **अजा, अजजा, अपिव, आकव और दि.** श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी ।

18.6 अजा, अजजा, अपिव, आकव और बेंचमार्क दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी, जो आयु सीमा, अनुभव या योग्यता लिखित परीक्षा में अनुमत्य अवसरों की संख्या, विचारार्थ विस्तृत क्षेत्र आदि जैसे मानकों में छूट के आधार पर अर्हता प्राप्त करता है, चाहे योग्यता सूची में उसका स्थान कुछ भी हो, वह आरक्षित रिक्तियों में शामिल किया जाएगा न कि सामान्य रिक्तियों में । ऐसे अभ्यर्थियों को आरक्षित कोटे में कमी को पूरा करने के लिए, योग्यताक्रम में उनके रैंक पर ध्यान दिए बिना उनकी आरक्षित रिक्तियों की संख्या की सीमा तक मानकों में छूट देकर नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया जा सकता है । जहां तक भूपूसै के मामलों का संबंध है, आरक्षित या अनारक्षित पदों के लिए भूपूसै को सैन्य सेवा की अवधि के बराबर आयु में कटौती अनुमत्य है तथा इस छूट को आयु के संदर्भ में मानकों में छूट नहीं कहा जाएगा । इसी प्रकार बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 10 वर्ष की छूट को मानकों में छूट नहीं माना जाएगा ।

18.7 दिव्यांग व्यक्ति जो अपनी योग्यता के आधार पर चुना गया है, अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि वह पद संगत श्रेणी के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त हो ।

18.8 परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के आधार पर अभ्यर्थी को नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलेगा, जब तक सरकार यथावश्यक जांचके पश्चात जब तक इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा / पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है ।

18.9 परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं

। परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश पात्रता की निर्धारित शर्तें पूरी करने के अध्यक्षीन पूर्ण रूप से अनन्तिम होगा । लिखित परीक्षा से पहले अथवा बाद में जाँच करने पर यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी ।

- 18.10 इस परीक्षा के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी दो वर्ष की परीवीक्षा पर रहेंगे और परीवीक्षाधीन अवधि के दौरान अभ्यर्थियों को ऐसे प्रशिक्षण अथवा ऐसी परीक्षाएं उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा जो नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा इसके लिए निर्धारित की गई हों । परीवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर यदि अभ्यर्थी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया जाता है तो उसे इस पद पर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा स्थायी किया जायेगा ।
- 18.11 नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों को भारतवर्ष में कहीं भी सेवा करनी पड़ सकती है अर्थात् ये सभी पद अखिल भारतीय सेवा दायित्व (अ.भा.से.दा.) के हैं ।
- 18.12 अंतिम रूप से चयन किए जाने पर अभ्यर्थियों को संबंधित प्रयोक्ता संगठन /कार्यालय द्वारा एक राज्य / संघ राज्य क्षेत्र / अंचल आवंटित किया जा सकता है । ऐसे अभ्यर्थियों को प्रयोक्ता संगठन /कार्यालय द्वारा आवंटित पदों पर अभ्यर्थियों के स्थायीकरण (Confirmation) के लिए आवंटित राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश / क्षेत्र की स्थानीय भाषा में दक्षता हासिल करने की आवश्यकता हो सकती है ।
- 18.13 यदि परीक्षा के किसी भी टियर / चरण में कट-ऑफ अंक से अधिक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी किसी भी कारण से बाद के चरण / अंतिम चयन के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के दो माह के भीतर या अगले चरण की परीक्षा के आयोजन के दो सप्ताह पहले, जो भी पहले हो, आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अभ्यावेदन देना चाहिए ।
- 18.14 यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और वह आयोग या संबंधित प्रयोक्ता संगठन / कार्यालय से एक वर्ष की अवधि के भीतर कोई पत्राचार प्राप्त नहीं करता है, तो उसे संबंधित प्रयोक्ता विभाग / संगठन से तुरंत संपर्क करना चाहिए ।
- 18.15 अभ्यर्थियों की योग्यता-सह-अभ्यर्थियों द्वारा दी गई पदों / विभागों की वरीयताओं के आधार पर पदों का अंतिम आबंटन किया जाता है और पद का आबंटन करने के पश्चात किसी पद की शारीरिक / चिकित्सीय/ शैक्षिक मानकों की विशिष्ट अपेक्षाओं को पूरा न करने के कारण आयोग द्वारा पदों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा । अन्य शब्दों में, उदाहरणतः यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा किसी पद के लिए उच्चतर वरीयता दी गई है और वह उस पद के लिए चयनित हो जाता / जाती है, तो ऐसे मामले में यदि वह चिकित्सा / शारीरिक / शैक्षिक मानकों को पूरा

करने में असफल रहता / रहती है तो उसकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया जाएगा और अन्य वरीयताओं के लिए उसके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा और इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर आयोग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी ।

18.16 यह पुनः बताया जाता है कि आयोग द्वारा अंतिम परिणाम की घोषणा एक बार ही की जाएगी और यदि पात्र अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता, प्रयोक्ता संगठनों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थिता रद्द करने, अभ्यर्थियों के कार्य ग्रहण न करने या किसी अन्य कारण से खाली रह गए पदों के लिए कोई और नामांकन नहीं किया जाएगा । ऐसे मामलों में, मौजूदा नियमों के अनुसार मंत्रालय /विभाग /संगठन इन रिक्तियों को अगले रिक्ति वर्ष के लिए अग्रेषित कर सकते हैं ।

18.17 अंतिम परिणाम की घोषणा के उपरांत कोई भी प्रतीक्षा सूची /आरक्षित सूची नहीं होगी ।

19. रोजगार के अवसरों में बेरोजगार अभ्यर्थियों की पहुंच बढ़ाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21.06.2016 के का.ज्ञा. 39020/1/2016-स्था(ख) के तहत जारी निर्देशों के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि अंतिम परिणाम की घोषणा के उपरांत आयोग द्वारा आयोजित उक्त खुली प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के अंकों तथा रैंकिंग को आयोग की अपनी वेबसाइट पर घटती हुई रैंकिंग क्रम में प्रदर्शित किया जाएगा । तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थियों के निम्नलिखित ब्यौरों को इस वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा : (i) अभ्यर्थी का नाम, (ii) पिता / पति का नाम, (iii) जन्म तिथि, (iv) श्रेणी (सामान्य / अजा / अजजा / अपिव / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / दिव्यांगजन / भू.पू.सै), (v) अभ्यर्थी का लिंग, (vi) शैक्षिक योग्यता, (vii) अर्हक परीक्षा में कुल प्राप्तांक, (viii) रैंकिंग, जिसके द्वारा योग्यता का निर्धारण किया गया है, (ix) पूरा पता, (x) ई-मेल पता । तथापि अभ्यर्थियों के पास अपना आवेदन पत्र भरते समय उपरोक्त विवरण को सार्वजनिक न करने का विकल्प होगा । तदनुसार केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के अंक तथा रैंक आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे जिन्होंने आयोग की वेबसाइट पर उपरोक्त ब्योरा प्रकट करने का विकल्प दिया है ।

20. **बराबरी (टाई) के मामलों का निपटारा :** ऐसे मामलों में जहाँ एक से अधिक अभ्यर्थी पेपर- I और पेपर- II में बराबर समग्र अंक प्राप्त करते हैं, तो बराबरी (टाई) का निपटारा एक के बाद दूसरे निम्नलिखित तरीकों को अपनाते हुए किया जाएगा:-

(i) पेपर-II में कुल अंक

(ii) जन्म-तिथि देखकर, अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखा जाता है ।

(iii) वर्णानुक्रम, जिसमें अभ्यर्थियों के नाम हैं ।

21. **कदाचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई**

21.1 यदि अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान किसी स्तर पर निम्नलिखित में किसी भी कदाचार के

दोषी पाए जाते है तो इस परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी और आयोग के परीक्षाओं से उन्हें निम्नलिखित अवधि के लिए वारित कर दिया जाएगा:

क्र. सं.	कदाचार का प्रकार	वारित अवधि
1	परीक्षा भवन से परीक्षा संबंधी सामग्री, जैसे- रफ शीट, प्रवेशपत्र की आयोग की प्रति, उत्तर शीटें लेकर बाहर जाना या परीक्षा के आयोजन के दौरान इन्हें किसी अनधिकृत व्यक्ति को देना ।	2 वर्ष
2	परीक्षा के दौरान बिना सूचित किए परीक्षा स्थल को छोड़ना	2 वर्ष
3	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि के साथ दुर्व्यवहार करना, उन्हें भयभीत करना या डराना-धमकाना ।	3 वर्ष
4	परीक्षा के आयोजन में बाधा पहुंचाना / अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा न देने के लिए उकसाना	3 वर्ष
5	गलत अथवा झूठे वक्तव्य देना, महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना, जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना।	3 वर्ष
6	अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लेना ।	3 वर्ष
7	‘स्विच ऑन’ या ‘स्विच ऑफ ’ मोड में मोबाइल फोन रखना ।	3 वर्ष
8	नियमों का उल्लंघन करके एक ही परीक्षा में एक से अधिक बार बैठना ।	3 वर्ष
9	कोई अभ्यर्थी जो उसी परीक्षा में परीक्षा संबंधी मामलों को देख रहा हो ।	3 वर्ष
10	परीक्षा से संबंधित अवसंरचना / उपकरणों को नुकसान पहुंचाना ।	5 वर्ष
11	जाली प्रवेश-पत्र, पहचान-पत्र से परीक्षा देना ।	5 वर्ष
12	परीक्षा के दौरान आग्नेय शस्त्रों / हथियारों को रखना।	5 वर्ष
13	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि पर हमला करना, उन पर बल प्रयोग करना, किसी भी तरीके से उन्हें शारीरिक हानि पहुंचाना ।	7 वर्ष
14	आग्नेय शस्त्रों / हथियारों से परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों को डराना-धमकाना ।	7 वर्ष
15	परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, जैसे- कागज या शारीरिक अंगों आदि पर लिखित सामग्री जैसे अनधिकृत स्रोतों से	7 वर्ष

	नकल करना।	
16	परीक्षा कक्ष में ब्लूटूथ उपकरण, स्पाई कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने पास रखना।	7 वर्ष
17	छद्मवेषन / किसी अन्य व्यक्ति से छद्मरूप में कार्यसाधन कराना।	7 वर्ष
18	स्नेपशाट लेना, प्रश्नपत्रों या परीक्षा सामग्री, लैब आदि का वीडियो बनाना।	7 वर्ष
19	रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर / एप / लैन / वैन इत्यादि के माध्यम से परीक्षा टर्मिनलों को साझा करना।	7 वर्ष
20	परीक्षा से पहले, उसके दौरान या उसके बाद किसी भी समय परीक्षा सर्वरों, डाटा या परीक्षा प्रणाली को हैक करने या जोड़-तोड़ करने की कोशिश करना।	7 वर्ष

21.2 आयोग, यदि उचित समझे, तो इस मामले को पुलिस / जांच एजेंसियों को भी रिपोर्ट कर सकता है। इसके अतिरिक्त, आयोग संबंधित अधिकारियों / फोरेंसिक विशेषज्ञों, आदि द्वारा मामले की जांच कराने के लिए उचित कार्रवाई भी कर सकता है।

22 **आयोग का निर्णय अंतिम:** पात्रता, आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षा (ओं) के आयोजन, परीक्षा केन्द्रों के आबंटन तथा चयन संबंधी सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पूछताछ/पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।

23. **न्यायालय का क्षेत्राधिकार:** इस भर्ती से संबंधित कोई भी विवाद उस न्यायालय / न्यायाधिकरण के अधीन होगा जिसके न्यायक्षेत्र में कर्मचारी चयन आयोग का वह संबंधित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं, जहां से अभ्यर्थी ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा दी है।

24. **अयोग्यता:** कोई भी व्यक्ति, (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का अनुबंध किया हो, जिसका पति या पत्नी जीवित है, या (ख) जिसका पति या पत्नी जीवित हो, उसने किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है, सेवा में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है, बशर्ते कि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति और अन्य व्यक्ति के लिए लागू पर्सनल लॉ के तहत ऐसे विवाह की अनुमति है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी है, उस व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

25. **अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश**

(क)	अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले परीक्षा की
-----	---

)	विज्जप्ति में दिए गए अनुदेशों को ध्यान पूर्वक पढ़ लें । परीक्षा विज्जप्ति हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित की गई है । कोई भी विवाद होने पर, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा ।
(ख)	अभ्यर्थियों को उनके हित के लिए सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन अंतिम तारीख से काफी पहले जमा कर दें और अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर अत्यंत व्यस्तता के कारण कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर संपर्क न होने / लॉगइन करने में असमर्थता या विफलता की संभावना से बचने के लिए अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा न करें ।
(ग)	कर्मचारी चयन आयोग लिखित परीक्षा के समय पात्रता एवं अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत संवीक्षा नहीं करेगा, इसलिए अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाती है । अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पूर्व शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक व चिकित्सीय मापदण्ड इत्यादि की अपेक्षाओं को देख लें और अपनी संतुष्टि कर लें कि वे पद (दों) के लिए पात्र हैं । उनकी शैक्षिक योग्यता और जाति / श्रेणी आदि के समर्थन में प्रमाणपत्र / दस्तावेजों की प्रतियां मांगकर्ता / प्रयोक्ता विभागों / संगठनों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय मांगी जाएंगी । अभ्यर्थी यह भी नोट करें कि आयोग द्वारा मांगे जाने पर उन्हें अपने प्रमाणपत्र / शै.यो. / जाति / श्रेणी आदि के दस्तावेज जमा करने होंगे । शै.यो. / जाति / श्रेणी आदि के प्रमाण-पत्रों / दस्तावेजों की जांच के बाद , यदि आवेदन में किया गया कोई दावा प्रमाण-पत्रों / दस्तावेजों से सिद्ध नहीं होता है, तो अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी ।
(घ)	अजा /अजजा/ अपिव/ आकव/ बें.दि. के लिए उपलब्ध आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वे इस विज्ञप्ति में निर्धारित पात्रता के अनुसार आरक्षण के हकदार हैं । उनके पास अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित प्रमाणपत्र भी होने चाहिए ।
(ङ.)	केवल बेंचमार्क शारीरिक दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों को ही दिव्यांग व्यक्ति (शा.दि.) माना जाएगा और वे ही दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण के हकदार होंगे ।
(च)	जब आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा तो इसे "अनंतिम" रूप से स्वीकार किया जाएगा । अभ्यर्थियों को अपने रिकॉर्ड के लिए आवेदन का प्रिंट आउट लेना चाहिए । आयोग को "आवेदन फॉर्म" का प्रिंट आउट भेजने की जरूरत नहीं है ।
(छ)	अभ्यर्थियों को मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में उल्लिखितानुसार ही पिता का नाम और माता का नाम लिखना चाहिए अन्यथा दस्तावेज सत्यापन के समय अथवा आयोग के ध्यान में आने पर उनकी अभ्यर्थिता सरसरी तौर पर रद्द कर दी जाएगी ।
(ज)	अपाठ्य / धुंधले फोटोग्राफ / हस्ताक्षर वाले आवेदनों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा ।
(झ)	अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में सही और सक्रिय ई-मेल पता तथा मोबाइल संख्या भरने की सलाह दी जाती है क्योंकि आयोग अभ्यर्थियों से ई-मेल / एस.एम.एस. के माध्यम से पत्राचार कर सकता है ।
(ञ)	अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में दो पासपोर्ट आकार के फोटो और अपनी

)	<p>हाल ही का फोटो लगा कम से कम एक साक्ष्य, जैसे- आधार कार्ड / ई-आधार का प्रिंटआउट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता कार्ड, पेन कार्ड, विश्वविद्यालय / कॉलेज / सरकारी कार्यालय या कोई अन्य कार्यालय जहां अभ्यर्थी कार्य कर रहा हो, द्वारा जारी पहचान पत्र मूल रूप में अपने साथ लाना चाहिए, जिसके बिना उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी । यदि फोटो पहचानपत्र में जन्म तिथि नहीं है तो अभ्यर्थी को जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त प्रमाणपत्र लाना होगा । शारीरिक दिव्यांग अभ्यर्थी जो प्रलिपिक की सुविधा का उपयोग करेंगे, उन्हें पैरा 8 में यथा उल्लिखित चिकित्सा प्रमाणपत्र / वचनपत्र / प्रलिपिक के फोटो पहचानपत्र की फोटो कॉपी लाना होगा ।</p>
(ट)	<p>किसी प्रतिष्ठित नाम / फोटो के दुरुपयोग से नकली / जाली आवेदन / पंजीकरण करने के मामले में अभ्यर्थी / साइबर कैफे को उत्तरदायी समझा जाएगा तथा उनके खिलाफ साइबर / आईटी अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त विधिक कार्रवाई की जाएगी ।</p>
(ठ)	<p>सभी पद अखिल भारतीय सेवा दायित्व (अ.भा.से.दा.) वाले हैं अर्थात् चयनित होने पर अभ्यर्थीको देश के किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए कहा जा सकता है ।</p>
(ड)	<p>यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी टियर/स्तर में कट-ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त करता है और किसी कारण से तदनंतर स्तर/अंतिम चयन में अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के दो महीने के भीतर या परीक्षा के अगले चरण से दो सप्ताह पहले, जो भी पहले हो, संबंधित क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय में अभ्यावेदन करना चाहिए ।</p>
(ढ)	<p>यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और परिणाम घोषित होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर उसे आयोग अथवा संबंधित प्रयोक्ता विभाग से कोई पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल संबंधित प्रयोक्ता विभाग/संगठन से संपर्क करना चाहिए ।</p>
(ण)	<p>देय शुल्क: 100/- रु. (एक सौ रुपए मात्र) । महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों और आरक्षण के हकदार भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक दिव्यांग व्यक्तियों को आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट है ।</p>
(त)	<p>आयोग सक्षम प्राधिकारी की विधिवत अनुमति प्राप्त करने के अध्यक्षीन सत्यापन के प्रयोजनार्थ अभ्यर्थी के आधार डाटा का प्रयोग कर सकता है ।</p>
(थ)	<p>ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए सामान्य अवधि के दौरान परीक्षा के लिए एक अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अनुमति है, जिसमें 'आवेदन फॉर्म सुधार के लिए विंडो' की अवधि शामिल नहीं है । इसलिए, अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदनपत्र भरने के समय सावधानी बरतनी चाहिए । यदि विभिन्न पंजीकरण संख्या वाले अभ्यर्थी के एक से अधिक आवेदन पाए जाते हैं, तो आयोग द्वारा सभी आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे और परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी । यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन जमा करता है और एक से अधिक बार (किसी भी स्तर पर) परीक्षा में उपस्थित होता है, तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी तथा उसे आयोग की</p>

	परीक्षाओं से नियमानुसार वारित कर दिया जाएगा ।
(द)	ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, आयोग अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन मापदंडों को सही / संशोधित करने के लिए एक दिन की अवधि प्रदान करेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को आवश्यकतानुसार एकबारगी पंजीकरण / ऑनलाईन आवेदन डाटा में अपेक्षित सुधार / परिवर्तन करने के बाद आवेदन को पुनःजमा करने की अनुमति दी जाएगी । परीक्षा की सूचना के पैरा-11.6 में दिए गए विवरण के अनुसार निर्धारित सुधार राशि का ऑनलाइन भुगतान कर इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है । नवीनतम संशोधित आवेदन को वैध माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिए जमा किए गए पिछले आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा ।
(ध)	सही / अंतिम ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले, जैसा भी मामला हो, अभ्यर्थियों को यह जांच लेना चाहिए कि उन्होंने फॉर्म के प्रत्येक भाग में सही विवरण भरा है । संशोधित / अंतिम ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने या 'आवेदन प्रपत्र सुधार के लिए विंडो' की अवधि की समाप्ति के बाद, किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन / सुधार / संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी । इस संबंध में डाक, फैंक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी रूप में प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा ।
(न)	ऑनलाईन आवेदनपत्र में, अभ्यर्थियों को जेपीईजी/जेपीजी प्रारूप में स्कैन किए हुए रंगीन पास पोर्ट आकार की फोटो (20 केबी से 50 केबी) अपलोड करनी होगी । फोटोग्राफ परीक्षा-विज्ञप्ति प्रकाशित होने के तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए । फोटोग्राफ की छवि का आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए । फोटोग्राफ बिना टोपी और चश्मे का होना चाहिए । यदि अभ्यर्थी द्वारा सही फोटोग्राफ अपलोड नहीं जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी । स्वीकार्य / अस्वीकार्य फोटोग्राफ के नमूने अनुबंध-XV पर दिए गए हैं ।
(प)	आवेदनपत्र के अंत में घोषणा पर विशेष ध्यान दिया जाता है । घोषणा पर सहमत होने / हस्ताक्षर करने से पहले, उम्मीदवारों को भरे गए आवेदन विवरण और घोषणा की सामग्री के माध्यम से जाना चाहिए और स्वयं को संतुष्ट करने के बाद ही इस पर सहमत होना / हस्ताक्षर करना चाहिए कि प्रस्तुत जानकारी सही है । किसी भी तथ्य को छिपाने / गलत बयानी करने / गलत घोषणा करने से अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी ।
(फ)	अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे परीक्षा की तारीख, रिक्तियों की स्थिति आदि से संबंधित सूचना के बारे में अद्यतन जानकारी हेतु नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट अर्थात् https://ssc.nic.in और साथ ही क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें ।

अवर सचिव
कर्मचारी चयन आयोग (मुख्यालय)

अनुबंध-1

परीक्षार्थी की लिखने संबधी शारीरिक सीमाओं के संबंध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/सुश्री/श्रीमती(दिव्यांग अभ्यर्थी का नाम), सुपुत्र/सुपुत्री, ग्राम/जिला/राज्य के निवासी हैं, जोकि(दिव्यांगता प्रमाणपत्र में यथा-उल्लिखित दिव्यांगता का स्वरूप और उसकी प्रतिशतता) से पीड़ित हैं, की जांच की है और उल्लेख करता हूं कि दिव्यांगता के कारण उनकी शारीरिक सीमाएं हैं जिनसे उनकी लेखन क्षमताएं प्रभावित होती हैं।

हस्ताक्षर
सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा
अधीक्षक
नाम व पदनाम
सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य संस्थान का नाम एवं मुहर

स्थान:
तारीख:

टिप्पणी:

संबंधित विषय / दिव्यांगता (अर्थात दृष्टि दिव्यांगता - नेत्र विशेषज्ञ, गति विषयक दिव्यांगता - अस्थि रोग विशेषज्ञ/पीएमआर) के विशेषज्ञ द्वारा ही प्रमाणपत्र दिया जाना चाहिए।

अनुबंध-। क

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत आने वाली विनिर्दिष्ट दिव्यांगता से संबंधित व्यक्ति, परन्तु जो उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं, अर्थात 40% से कम दिव्यांगता और जिसे लिखने में कठिनाई हो, के लिए प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, हमने श्री / सुश्री / श्रीमती
(अभ्यर्थी का नाम), सुपुत्र / सुपुत्री, निवासी
.....(ग्राम / डाकघर / थाना / जिला / राज्य), आयु
..... वर्ष, (दिव्यांगता / स्थिति की प्रकृति) से पीड़ित व्यक्ति की जांच

की है, और उल्लेख करते हैं कि उनकी उपर्युक्त स्थिति के कारण उनकी लेखन संबंधी सीमाएं हैं जिससे उनकी लेखन क्षमता बाधित होती है। उन्हें परीक्षा लिखने के लिए प्रलिपिक की सहायता की आवश्यकता है।

2. उपर्युक्त अभ्यर्थी प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स, हियरिंग एड (नाम निर्दिष्ट करें) जैसी सहायिकाओं और सहायक उपकरणों का उपयोग करता है, जो प्रलिपिक की सहायता से परीक्षा में बैठने हेतु अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है।

3. यह प्रमाणपत्र केवल भर्ती एजेंसियों, और साथ ही शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में बैठने के उद्देश्य से जारी किया जाता है और _____ (यह अधिकतम छह महीने या उससे कम की अवधि के लिए वैध है जैसा कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है) तक वैध है।

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम))	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)
ऑर्थोपेडिक / पीएमआर विशेषज्ञ	नैदानिक मनोवैज्ञानिक / पुनर्वास मनोवैज्ञानिक / मनोचिकित्सक / विशेष शिक्षक	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध है)	व्यावसायिक चिकित्सक (यदि उपलब्ध है)	अध्यक्ष द्वारा मनोनीत अन्य विशेषज्ञ (यदि कोई है)
(हस्ताक्षर और नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन / मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी अध्यक्ष				

मोहर के साथ सरकारी अस्पताल / स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का नाम

स्थान:

तारीख:

अनुबंध-II

स्वयं के प्रलिपिक का उपयोग करने हेतु वचन-पत्र

मैं (दिव्यांगता का स्वरूप)
दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्ति हूँ, जिसका..... (जिले का नाम)
(राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम) में स्थित
..... (केंद्र का नाम) में रोल नं. है। मेरी
शैक्षिक योग्यता है।

मैं सूचित करता/करती हूँ कि (प्रलिपिक
का नाम) अधोहस्ताक्षरी को पूर्वोक्त परीक्षा में प्रलिपिक/रीडर/प्रयोगशाला सहायक की
सेवा प्रदान करेंगे/करेंगी।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उनकी शैक्षिक योग्यता है।
यदि बाद में यह पता चलता है कि उनकी शैक्षिक योग्यता मेरे द्वारा घोषित योग्यता के
अनुसार नहीं है और मेरी शैक्षिक योग्यता से अधिक है, तो मुझे इस पद और इससे
संबंधित दावे का अधिकार नहीं होगा।

(दिव्यांग अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

स्थान:

तारीख:

अनुबंध-II क

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत आने वाली विनिर्दिष्ट दिव्यांगता से संबंधित व्यक्ति, परन्तु जो उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं, अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता और जिसे लिखने में कठिनाई हो, द्वारा वचनपत्र

मैं _____ , _____ (दिव्यांगता / स्थिति की प्रकृति) से _____ पीड़ित _____ अभ्यर्थी, _____ जिला, _____ (राज्य का नाम) में स्थित _____ (केंद्र का नाम), से _____ (परीक्षा का नाम) में बैठ रहा हूं, जिसका रोल नंबर _____ है। मेरी शैक्षिक योग्यता _____ है।

2. मैं एतद्द्वारा व्यक्त करता हूं कि _____ (प्रलिपिक का नाम) उपरोक्त परीक्षा देने के लिए अधोहस्ताक्षरी के लिए प्रलिपिक की सेवा प्रदान करेगा।

3. मैं एतद्द्वारा वचन देता हूं कि उसकी शैक्षिक योग्यता _____ है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि उसकी शैक्षिक योग्यता मेरे द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है और उसकी योग्यता मेरी योग्यता से अधिक है, तो मैं पद या प्रमाणपत्र / डिप्लोमा / डिग्री और उससे संबंधित दावों पर अपना अधिकार खो दूंगा।

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

(यदि अभ्यर्थी अवयस्क है तो माता-पिता/अभिभावक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर)

स्थान:

तारीख:

(ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया)

परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया के दो भाग हैं:

- I. एक बारगी पंजीकरण
- II. परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरना

भाग -I (एक बारगी पंजीकरण)

1. कृपया ऑनलाइन 'पंजीकरण-प्रपत्र' और 'आवेदन-पत्र' भरने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
2. एकबारगी पंजीकरण भरने से पहले निम्नलिखित सूचनाएं/दस्तावेज तैयार रखें:

- क. मोबाइल नंबर (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)
- ख. ईमेल आईडी (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)।
- ग. आधार संख्या । यदि आधार संख्या उपलब्ध नहीं है, तो कृपया निम्नलिखित आईडी नंबरों में से एक दें। (आपको बाद में मूल दस्तावेज दिखाना होगा।)
 - i. वोटर आईडी कार्ड
 - ii. पैन
 - iii. पासपोर्ट
 - iv. ड्राइविंग लाइसेंस
 - v. स्कूल/कॉलेज आई डी
 - vi. नियोक्ता आईडी (सरकारी/पीएसयू/प्राइवेट)
- घ. बोर्ड, रोल नंबर और मैट्रिक (10 वीं) की परीक्षा पास करने के वर्ष के बारे में जानकारी।

ड. यदि आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांगता प्रमाणपत्र संख्या दें ।

3. एक बारगी पंजीकरण के लिए, <http://ssc.nic.in> पर 'Log in' सेक्शन में दिए गए लिंक 'Register Now' पर क्लिक करें।

4. एक बारगी पंजीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित सूचनाएं भरनी होंगी:

- क. प्रारंभिक विवरण
- ख. अतिरिक्त जानकारियां और संपर्क विवरण
- ग. घोषणा पत्र ।

5. 'एक बारगी पंजीकरण प्रपत्र' भरने के लिए कृपया निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें :

- क. सत्यापन के उद्देश्य से और किसी गलती से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विवरणों (अर्थात आधार संख्या, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि इत्यादि) की प्रविष्टि पंजीकरण प्रपत्र के संगत कॉलमों में दो बार की जानी अपेक्षित है। यदि मूल डाटा और सत्यापन डाटा कॉलम में मेल नहीं खाते हैं तो इसका संकेत लाल रंग के पाठ में दिया जाएगा।
- ख. क्रम संख्या-1: आधार संख्या/ पहचान पत्र और इसकी संख्या के बारे में जानकारी प्रदान करें। इन नंबरों में से कोई एक नंबर दिया जाना अपेक्षित है।
- ग. क्रम संख्या-2: अपना नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10 वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है। यदि मैट्रिकुलेशन के पश्चात आपने अपने नाम में कोई बदलाव किया है, तो कृपया इसका उल्लेख 2 ग और 2 घ में करें।
- घ. क्रम संख्या-3: अपने पिता का नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10 वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।
- ड. क्रम संख्या-4: अपनी माता का नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10 वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।
- च. क्रम संख्या-5: अपनी जन्मतिथि **ठीक वैसी ही** भरें जैसीकि मैट्रिक परीक्षा (10 वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दी गई है।
- छ. क्रम संख्या-6: मैट्रिक परीक्षा (10 वीं कक्षा) के विवरण में निम्नलिखित शामिल है:
 - i. शिक्षा बोर्ड का नाम
 - ii. रोल नंबर
 - iii. उत्तीर्ण होने का वर्ष
- ज. क्रम संख्या -7: लिंग
- झ. क्रम संख्या- 8: शैक्षणिक योग्यता का स्तर (उच्चतम)

- ज. क्रम संख्या- 9: आपका मोबाइल नंबर। यह एक सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए क्योंकि इसे 'वन टाइम पासवर्ड' (ओटीपी) के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि कोई भी जानकारी जो दिल्ली पुलिस/ कर्मचारी चयन आयोग संप्रेषित करना चाहता है, केवल इस मोबाइल नंबर पर ही भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपका मोबाइल नंबर उपयोग किया जाएगा।
- ट. क्रम संख्या-10: आपका ईमेल आईडी। यह एक सक्रिय ईमेल आईडी होना चाहिए क्योंकि इसे ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। यह भी ध्यान दिया जाए कि दिल्ली पुलिस/ कर्मचारी चयन आयोग जो भी जानकारी आपको देना चाहेगा, केवल इसी ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपकी ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा।
- ठ. अपने स्थायी पते का राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र का विवरण प्रदान करें।
- ड. जब क्रम संख्या 1 से 10 में प्रदान किए गए मूल विवरण को सहेजा जाता है, तो आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की पुष्टि करने की आवश्यकता होगी। पुष्टि होने पर, आपका पंजीकरण आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा।
- ढ. आपको 14 दिनों के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी जिसमें विफल होने पर आपके अब तक के सहेजे गए पंजीकरण विवरण हटा दिए जाएंगे।
- ण. अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी को यूजर नाम और आपके मोबाइल तथा ईमेल पर आपको प्रदान किए गए ऑटो जेनरेटेड पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन करें। पहले लॉगिन पर संकेत मिलने पर अपना पासवर्ड बदलें।
- त. पासवर्ड के सफलतापूर्वक परिवर्तन करने के बाद, बदले गए पासवर्ड का उपयोग करके आपको फिर से लॉगिन करना होगा।
- थ. सफलतापूर्वक लॉगइन करने पर, अब तक भरी गई "मूल जानकारी" प्रदर्शित होगी। यदि अपेक्षित हो तो आप इसमें परिवर्तन कर सकते हैं अथवा अपना एकबारगी पंजीकरण पूरा करने के लिए "Next" बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
- द. क्रम संख्या-11: अपनी श्रेणी के बारे में जानकारी प्रदान करें।
- ध. क्रम संख्या-12: अपनी राष्ट्रियता के बारे में जानकारी प्रदान करें
- न. क्रम संख्या -13: दृश्यमान पहचान चिह्न के बारे में जानकारी प्रदान करें। आपको परीक्षा के विभिन्न चरणों में उपरोक्त पहचान चिह्न दिखाना पड़ सकता है।
- प. क्रम संख्या-14: यदि कोई बेंचमार्क दिव्यांगता हो तो उसकी सूचना दें। यदि

आप सरकारी नौकरियों के लिए चिन्हित किसी उपयुक्त विशिष्ट बेंचमार्क दिव्यांगता से पीड़ित हैं, तो दिव्यांगता प्रमाणपत्र संख्या प्रदान करें।

फ. क्रम संख्या-15 से 18: अपने स्थायी और वर्तमान पते के बारे में जानकारी प्रदान करें। डेटा को सहेजें और पंजीकरण प्रक्रिया के अंतिम भाग को भरने के लिए आगे बढ़ें।

ब. प्रदान की गई जानकारी को सहेजें। ड्राफ्ट प्रिंट-आउट लें और 'Final Submit' से पहले, प्रदान की गई जानकारी की अच्छी तरह से समीक्षा करें।

भ. "घोषणा" को सावधानीपूर्वक पढ़ें और यदि आप सहमत हैं तो "I Agree" पर क्लिक करें।

म. 'Final Submit' क्लिक करने पर आपके मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी पर विभिन्न ओटीपी भेजे जाएंगे। पंजीकरण प्रक्रिया पूरा करने के लिए आपको इन दोनों में से किसी एक ओटीपी को डालना होगा।

6. यद्यपि आप अपने एकबारगी पंजीकरण में संशोधन कर सकते हैं फिर भी पंजीकरण करने के दौरान अत्यंत सावधानी बरतें। गलत/त्रुटिपूर्ण सूचनाएं देने पर आपकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।

7. आपको पुनः सावधान किया जाता है कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक परीक्षा का विवरण ठीक वैसा ही भरें जैसा कि आपके मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र में दर्ज है। गलत/त्रुटिपूर्ण सूचनाएं देने पर आपकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है।

8. प्रारंभिक सूचनाओं को प्रदान करने के बाद, यदि पंजीकरण प्रक्रिया 14 दिनों के भीतर पूरी नहीं की जाती है, तो आपका डाटा सिस्टम से हटा दिया जाएगा।

एकबारगी पंजीकरण फॉर्म के स्क्रीनशॉट्स

BASIC DETAILS

NOTE: Candidates must be cautious while filling up Registration details. Your candidature may get cancelled in case incorrect/ wrong information is furnished.

1. Do you have Aadhaar ? *

Yes No

1a. Aadhaar Number

Aadhaar Number should be same as mentioned in Aadhaar Card

1b. Verify Aadhaar Number

1c. Type of ID *

Type of ID and ID Number to be provided if you don't want to give Aadhaar number

1d. ID Number *

2a. Name *

1. Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate
2. Please enter name without any salutation (i e Shri/ Smt/ Mr/ Mrs/ Ms/ Dr/ Prof)

2b. Verify Name *

2c. Have you ever changed Name?

Yes No

2d. New Name / Changed Name

3b. Verify Father's Name *

1. Father's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate
2. Please enter name without any salutation (i e Mr/ Shri/ Late/ Dr/ Prof etc

4a. Mother's Name *

1. Mother's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate
2. Please enter name without any salutation (i e Mrs/ Ms/ Smt/ Late/ Dr/ Prof etc

4b. Verify Mother's Name *

5a. Date of Birth (DD/MM/YYYY) *

Date of Birth should be same as mentioned in Matriculation Certificate

5b. Verify Date of Birth (DD/MM/YYYY) *

6. Matriculation (10th Class) Examination details :

(i). Education Board *

Education Board of Matriculation Examination

(ii). Verify Education Board *

(iii). Roll Number *

1. Roll Number should be same as mentioned in Matriculation Certificate
2. Only / and - are allowed . Please enter Roll number without any other special character(s)
3. If Roll Code is given in your Matriculation Certificate then enter "Roll Code - Roll No."

अनुबंध-III क(2/3)

(iv). Verify Roll Number *

(v). Year of Passing *

(vi). Verify Year of Passing *

7a. Gender * Male Female Transgender

7b. Verify Gender * Male Female Transgender

8. Level of Educational Qualification *

9a. Mobile Number *

9b. Verify Mobile Number *

10a. Email ID *

10b. Verify Email ID *

• State / UT of Permanent Address *

ADDITIONAL AND CONTACT DETAILS

11a. Category * General EWS OBC ST SC

11b. Verify Category * General EWS OBC ST SC

12. Nationality *

13. Identification Marks *

14a. Are you a Person with Benchmark Disability? * Yes No

14b. Type of Disability

NOTE
VH: Blindness and low vision.
HH: Deaf and hard of hearing.
OH: Locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy.
Others: Autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness, multiple disabilities from amongst persons under the above mentioned clauses including deaf-blindness.

14c. Disability Certificate Number

15a. Permanent Address *

15b. State/ UT *

अनुबंध-III क(3/3)

15b. State/ UT *	<input type="text" value="Punjab"/>
15c. District *	<input type="text" value="Patiala"/>
15d. PIN Code *	<input type="text" value="140401"/>
16. Is Present Address same as Permanent Address?	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
17a. Present Address *	<input type="text" value="SAMPLE PERMANENT ADDRESS"/>
17b. State/ UT *	<input type="text" value="Punjab"/>
17c. District *	<input type="text" value="Patiala"/>
17d. PIN Code *	<input type="text" value="140401"/>
18. Contact details for other nationals	<input type="text"/>

DECLARATION

Declaration : I hereby declare that the information given by me in this form is true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, my candidature/appointment is liable to be cancelled/terminated.

I Agree.

भाग-II (ऑनलाइन आवेदन-पत्र)

1. ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व निम्नलिखित डाटा तैयार रखें:

(क) हाल का (अर्थात परीक्षा की विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से तीन महीने से अधिक पुराना नहीं) जेपीईजी/जेपीजी प्रारूप (20 केबी से 50 केबी) में स्कैन किया गया पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ। फोटोग्राफ की छवि का आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। शांतनु कुमार एवं अन्य के मामले [2018 की रिट याचिका (सि) सं. 234] में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 05.03.2020 के आदेश के अनुसरण में फोटोग्राफ परीक्षा विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से तीन महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। फोटोग्राफ बिना टोपी और बिना चश्मे का होना चाहिए। चेहरे का अग्र भाग स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। धुंधली फोटो वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा उचित फोटो अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। स्वीकृत / अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने अनुबंध-XV में दिए गए हैं।

(ख) जेपीईजी फार्मेट में स्कैन किए गए हस्ताक्षर (10 से 20 केबी)। हस्ताक्षर छवि का आयाम लगभग 4.0 सेमी (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। अपठनीय हस्ताक्षर वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा।

(ग) अर्हक शैक्षिक योग्यता का ब्योरा जैसे उत्तीर्ण करने का वर्ष, अनुक्रमांक सं., प्रतिशत/ सीजीपीए, विश्वविद्यालय का नाम इत्यादि।

2. अपने 'पंजीकरण संख्या' और पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम में लॉगइन करें।

3. 'Latest Notification' टैब के अंतर्गत '**Junior Engineer (Civil, Mechanical and Electrical) Examination, 2023**' सेक्शन में 'Apply' लिंक पर क्लिक करें।

4. क्रम सं.-1 से 14 पर कॉलम में जानकारी स्वचालित रूप से आपके एकबारगी पंजीकरण डाटा से भर जाएगी जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता । तथापि, यदि आप एकबारगी पंजीकरण के किसी भी ब्योरे में परिवर्तन करना चाहते हैं तो अपने डैशबोर्ड के बाएं हाथ के कोने में प्रदान की गई **'Modify Registration'** टैब पर क्लिक करें और आगे बढ़ने से पहले उपर्युक्त संशोधन कर लें।
5. क्रम संख्या-15: परीक्षा केंद्रों के लिए अपनी वरीयता दें। आप एक ही क्षेत्र के भीतर परीक्षा केंद्र चुन सकते हैं। वरीयता के क्रम में सभी तीन केंद्रों के लिए विकल्प दिया जाना चाहिए (कृपया पैरा सं.-12.1 देखें)।
6. क्रम संख्या-16: यदि आप एक भूतपूर्व सैनिक हैं, तो आवश्यक जानकारी भरें। भूतपूर्व सैनिकों के पारिवारिक सदस्यों को भूतपूर्व सैनिक नहीं माना जाता है। अतः उन्हें 'No' को चुनना चाहिए (कृपया पैरा सं.-7.4 से 7.8 देखें)।
7. क्रम संख्या-17.1 से 17.2: चूंकि बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों अर्थात दोनों बांह प्रभावित (अ.दि.-दो.बा.) और नेत्रहीनता (दृ.दि.) के लिए कनिष्ठ अभियंता के पद उपयुक्त नहीं पाए गए हैं इसलिए इन कॉलमों को हटा दिया गया है ।
8. क्रम संख्या-17.3: परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा 9.2 अथवा 9.3 के अनुसार यदि आप शारीरिक रूप से लिखने में सक्षम नहीं हैं और आपकी तरफ से लिखने के लिए प्रलिपिक की आवश्यकता है, तो चयन करें। यह विकल्प अन्य बेंचमार्क दिव्यांजन तथा बेंचमार्क दिव्यांजन सभी अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रहेगा । क्रम सं. 9 के अनुसार, क्रम सं. 17.3 में 'Yes' का चयन करने वाले बेंचमार्क दिव्यांजन अभ्यर्थी प्रलिपिक/प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे, तथापि इन अभ्यर्थियों को परीक्षा के समय, परीक्षा विज्ञप्ति के अनुबंध-1 के प्रारूप के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा । क्रम सं. 9 के अनुसार, बेंचमार्क दिव्यांजन अभ्यर्थी (अर्थात 40 प्रतिशत कम दिव्यांगता वाले दिव्यांजन) जिन्होंने क्रम सं. 17.3 में 'Yes' का चयन किया है, प्रलिपिक/प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे, तथापि इन अभ्यर्थियों को परीक्षा के समय, परीक्षा विज्ञप्ति के अनुबंध-1 क के प्रारूप के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। कृपया अधिक जानकारी के लिए परीक्षा की विज्ञप्ति का पैरा- 9.2 और 9.3 देखें।

- 9.** क्रम संख्या-17.4 से 17.6: यदि आप परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा-9 के अनुसार प्रलिपिक की सुविधा का लाभ उठाने के पात्र हैं, तो प्रलिपिक की आवश्यकता के बारे में जानकारी प्रदान करें। यह विकल्प केवल उन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रहेगा जिन्होंने क्रम सं. 17 और 17.3 में 'Yes' का चयन किया है।
- 10.** क्रम संख्या-18.1 से 18.2: यदि आप आयु-सीमा में छूट की मांग कर रहे हैं, आयु-छूट की उपयुक्त श्रेणी का चयन करें (कृपया विज्ञप्ति के पैरा सं.-7.2 का संदर्भ लें)।
- 11.** क्रम संख्या-19: उस पद का चयन करें जिनके लिए आप आवेदन कर रहे हैं।
- 12.** क्रम संख्या-20: अर्हक शैक्षणिक योग्यता पात्रता का विवरण दें।
- 13.** क्रम संख्या-20.1: अपनी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का विवरण दें।
- 14.** क्रम संख्या-21: कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति का पैरा सं.-19 देखें और तदनुसार भरें।
- 15.** क्रम संख्या-22, 23 तथा 24 : वर्तमान तथा स्थायी पता से संबंधित सूचना एक बारगी पंजीकरण डाटा से स्वतः भर जाएगी।
- 16.** कृपया बिना चश्मे/ टोपी की अपनी नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ (परीक्षा विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से तीन महीने अधिक पुरानी न हो) अपलोड करें, जैसा कि ऊपर क्र.सं. 1(क) पर विनिर्दिष्ट किया गया है। धुंधली फोटो वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। स्वीकृत/अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने अनुबंध-XVI में दिए गए हैं। अभ्यर्थी उसका संदर्भ ले सकते हैं।
- 17.** उपर्युक्त क्र.सं.1(ख) के निर्देशानुसार अपना हस्ताक्षर अपलोड करें। धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा।
- 18.** क्रम संख्या-25: अपलोड की गई फोटो परीक्षा विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से तीन महीने अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। यदि अपलोड की गई फोटो परीक्षा विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से तीन महीने अधिक पुरानी नहीं है तो 'Yes' पर क्लिक करें।
- 19.** घोषणा को ध्यानपूर्वक पढ़ें और यदि स्वीकार है तो "I agree" चेक बॉक्स पर क्लिक करें। कैप्चा कोड भरें।
- 20.** आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी का पूर्वावलोकन और सत्यापन करें। यदि आप विवरण में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो आगे बढ़ने से पहले

‘Edit/Modify’ पर क्लिक करें तथा अपेक्षित परिवर्तन करें । यदि आप संतुष्ट हैं कि विवरण सही भरे गए हैं तो दी गई जानकारीयों का पूर्वावलोकन करें और सत्यापन करें और आवेदन ‘सबमिट’ करें। **आवेदन जमा करने के बाद आप ऑनलाइन आवेदन में संशोधन नहीं कर सकेंगे।**

- 21.** यदि आपको शुल्क के भुगतान से छूट नहीं दी गयी है तो शुल्क भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें।
- 22.** शुल्क का भुगतान भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग अथवा वीसा, मास्टरकार्ड, मैस्ट्रो, या रूपे, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन मोड द्वारा जमा किया जा सकता है।
- 23.** जब आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा, तो इसे **‘अनंतिम रूप से’** स्वीकार किया जाएगा और आवेदन की स्थिति **‘आवेदन प्राप्त (विषयवस्तु सत्यापित नहीं)’** के रूप में इंगित की जाएगी। अभ्यर्थी को अपने स्वयं के रिकॉर्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट-आउट लेना चाहिए। किसी भी स्तर पर आयोग को ‘आवेदन पत्र’ का प्रिंट-आउट जमा करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, आपको ऑनलाइन आवेदन से संबन्धित शिकायतों, यदि कोई हो, को संबोधित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन-प्रपत्र का प्रिंट-आउट देना होगा।

अनुबंध-IV क(1/4)

ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के स्क्रीनशॉट्स

Junior Engineer (Civil, Mechanical & Electrical) Examination, 2023	
Instructions	
PLEASE BE VERY CAREFUL WHILE FILLING THE APPLICATION FORM	
1. Candidate's Name: (As per the Matriculation Certificate)	SAMPLE NAME
2. New / Changed Name:	ISAMPLE II TESTW
3. Father's Name:	ISAMPLE FATHERW
4. Mother's Name:	ISAMPLE MOTHERW
5. Date of Birth (DD/MM/YYYY): (As per the Matriculation Certificate)	18/06/1980
6. Age as on 01/08/2023:	43.1
7. Gender:	Male

ApplicationHistory

8. Category: UR

9. Whether Person with Disability (PWD)? : Yes

9.1. If Yes, Type of Disability: HH

10. Nationality: Citizen of India

11. Mark of Visible Identification: MOLE

12. Matriculation (10th Class) Examination Board: Central Board of Secondary Education (CBSE)

13. Matriculation (10th Class) Roll No.: 3489W

14. Matriculation (10th Class) Year of Passing: 2021

15. Preference of Examination Centres: *
Center 1 ▾ Center 2 ▾ Center 3 ▾

[Please refer to para 12.1 of the Notice of Examination](#)

16.1. Whether you are an Ex-Servicemen (ESM) or serving in the Armed Forces? : *
 Yes No

[Please refer to para 7.4 to 7.8 of the Notice of Examination](#)

अनुबंध-IV क (2/4)

16.2. Date of Joining the Armed Forces
(DD/MM/YYYY):

16.3. Date of Discharge/ Likely Date of Discharge from
the Armed Forces (DD/MM/YYYY):

16.4. Length of Service in the Armed Forces:

16.5. Have you already joined a civil post by availing
benefit of reservation for Ex-Serviceman (ESM) :

Yes No

[Please refer to para 7.4 of the Notice of Examination](#)

16.6. Date of Joining to Civil Post (DD/MM/YYYY):

17. Whether suffering from Cerebral-Palsy:

Yes No

[Please refer to para 9.1 of the Notice of Examination](#)

17.1. Are you a person with benchmark disabilities
(40% or more) in the category of Blindness (VH)?:

Yes No

[Please refer to the Notice of Examination, Para-9.1](#)

17.2. Are you a person with benchmark disabilities
(40% or more) in the category of OH- Both Arms
Affected (OH-BA) or OH- Cerebral Palsy (OH-CP)?:

Yes No

[Please refer to the Notice of Examination, Para-9.1](#)

17.3. Do you have a physical limitation to write as per
Para 9.2 or 9.3 of the Notice (Certificate to this effect
from the competent authority as format at Annexure-I/
Annexure-IA to the Notice of Examination, would be
required at the time of Examination.)? :

Yes No

17.4. Whether scribe is required?

Yes No

[Please refer to para-9 of the Notice of Examination](#)

17.5. Will you make your own arrangement of Scribe?

Yes No

[Please refer to para-9 of the Notice of Examination](#)

17.6. If Scribe is to be arranged by SSC, then indicate
medium:

[Please refer to para-9 of the Notice of Examination](#)

18.1. Whether seeking Age Relaxation? :*

Yes No

[Please refer to para-7.2 of the Notice of Examination](#)

18.2. If Yes, indicate age relaxation code:

[Please refer to para 7.2 of the Notice of Examination](#)

19. Post(s) Applying for: *

Confirm Post(s) Applying for:

20. Qualification Details: *

[Please refer to the Notice of Examination, Annexure-XIV & Annexure-XV](#)

अनुबंध-IV क(3/4)

Qualifying Diploma/ Degree	Subject/ Stream	Exp. (Planning / Execution / Maintenance) (Min. 2 Years)				
--Select--	--Select a subject according to the Post Applied--					
20.1. Highest Educational Qualification:		--Select--				
Status	Passing Year	State/ UT of Board/ University	Name of Board/ University	Roll No	Percentage	CGPA
--Select Stat	--Select Year	--Select State--	--Select a Board/ Univer			
21. Do you want to make your personal information available for accessing job opportunities in terms of DoP&T's OM.No.39020/1/2016-Estt.(B) dated 21/06/2016? *		<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No				
Please refer to para 19 of the Notice of Examination						
22. Correspondence Address:		233132				
State:		Assam				
District:		Tamulpur				
District:		Tamulpur				
Pin:		780023				
23. Permanent Address		233132				
State:		Assam				
Pin :		780023				
Mobile Number:		9878987898				
Email:		adityaxi@gmail.com				
24. Contact Details for Other Nationals:						
Photograph And Signature						
Upload a photograph without Spectacles/Cap taken on or after 27-Apr-2023 *			Upload Signature (Signature should not be blurred) *			
Allowed File Size: 20 KB to 50 KB			Allowed File Size: 10 KB to 20 KB			
Format: JPEG/ JPG			Format: JPEG/ JPG			
Image Size: About 3.5 cm (width) x 4.5 cm (height)			Image Size: About 4.0 cm (width) x 2.0 cm (height)			
<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen			<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen			
25. Whether the photograph has been taken on or after		<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No				

अनुबंध-IV क(4/4)

25. Whether the photograph has been taken on or after Yes No

27-Apr-2023?:

Declaration

1. I have read the Notice of Examination and accept all the Terms & Conditions mentioned therein.
2. I hereby declare that all the statements made in this application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found suppressed/ false or incorrect at any stage or ineligibility being detected before or after the Examination, my candidature/ appointment is liable to be cancelled. I am willing to serve anywhere in India.
3. I declare that the photograph uploaded in the Application Form has been taken on or after the stipulated dated.
4. I agree to authorize SSC to use my Aadhaar data for verification purpose.*
 I Agree



Try Another

ENTER TEXT

Preview

Reset

Close

सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाणपत्र का प्रपत्र

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार

(नंबर) _____ (रैंक) _____

(नाम) _____ (दिनांक) _____ को सशस्त्र सेना

में अपनी नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेंगे।

स्थान:

अधिकारी के हस्ताक्षर)

(कमान

दिनांक:

कार्यालय की मुहर:

भूतपूर्व सैनिक द्वारा प्रदान किया जाने वाला वचनपत्र

मैं, अनुक्रमांक

.....परीक्षा, 20 के दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित हुआ हूँ एतद्वारा वचनबद्ध हूँ कि:

(क) मैं समय समय पर यथा संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा और डाक नियम, 1979, में भूतपूर्व सैनिकों के पुनः रोजगार के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अनुमत लाभों का हकदार हूँ।

(ख) मैंने सिविल क्षेत्र (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय / सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, आदि सम्मिलित हैं) में भूतपूर्व-सैनिकों को पुनः रोजगार के लिए दिए गए आरक्षण का लाभ उठाते हुए समूह 'ग' तथा 'घ' पदों की सरकारी नौकरी में नियमित आधार पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है ; अथवा

(ग) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांकको कार्यालय मेंपद पर कार्यभार ग्रहण किया है । मैं एतद्वारा वचनबद्ध हूँ कि वर्तमान सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले वर्तमान नियोक्ता को उन सभी आवेदनों के बारे में स्व-घोषणा / वचन पत्र प्रस्तुत किया है जिनके लिए मैंने आवेदन किया है; अथवा

(घ) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांकको कार्यालय मेंपद पर कार्यभार ग्रहण किया है । इसलिए, मैं केवल आयु में छूट पाने के लिए पात्र हूँ;

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त विवरण जहाँ तक मुझे पता है तथा विश्वास है यथार्थ, पूर्ण और सही हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी स्तर पर किसी भी जानकारी के झूठा या गलत पाए जाने पर मेरी अभ्यर्थिता / नियुक्ति निरस्त/ समाप्त समझा जाएगा ।

हस्ताक्षर:

.....

नाम:
अनुक्रमांक:
दिनांक:
सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तिथि:
कार्यमुक्ति की तिथि:
अंतिम यूनिट / कोर:
मोबाइल नंबर:
ईमेल आईडी:.....

अनुबंध-VII

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* _____
पुत्र/पुत्री _____ निवासी ग्राम/कस्बा* _____
जिला/संभाग* _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* _____ के
_____ अनुसूचित जाति/जनजाति से संबधित हैं जो
निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में
मान्यता प्राप्त है:-

@संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950

@संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950

@संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951

@संविधान (अनुसूचित जनजाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951

[अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश, 1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा

यथा संशोधित, मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986, अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 और गोवा, दमन और दीव (पुनर्गठित) अधिनियम, 1987।]

@संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956@

@अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन अधिनियम) 1976* द्वारा यथा संशोधित संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959

@संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962

@संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962

@संविधान(पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964

@संविधान(अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967

@संविधान(गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968

@संविधान(गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968

@संविधान(नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

@संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978

@संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978

@संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989

@संविधान(अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990

@संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991

@संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991

@अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम, 2002

@संविधान(अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

@संविधान(अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

@संविधान(अनुसूचित जाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002

%2. यह उन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं ।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* _____ के पिता/माता श्री/श्रीमती _____ निवासी _____ ग्राम/कस्बा* _____ जिला/संभाग* _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* _____ को जारी किए गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो _____ जाति/जनजाति से संबंधित हैं जो _____ दिनांक _____ द्वारा जारी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र* में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

%3. श्री/श्रीमती/कुमारी _____ और/या* उनका परिवार सामान्यतः
ग्राम/कस्बा* _____ जिला/संभाग* _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*
_____ में रहता है ।

हस्ताक्षर _____

**पदनाम _____

(कार्यालय की मुहर सहित)
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

स्थान: _____

दिनांक: _____

*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें ।

@राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें ।

% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें ।

टिप्पणी:-

यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है ।

** जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची:-

(i) जिला मजिस्ट्रेट/ अपर जिला मजिस्ट्रेट/ कलेक्टर/ उपायुक्त/ अपर उपायुक्त/ डिप्टी कलेक्टर/ प्रथम श्रेणी के स्टाईपेंडरी मजिस्ट्रेट/ +सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट/ एकजीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त ।

+ (प्रथम श्रेणी के स्टाईपेंडरी मजिस्ट्रेट रैंक के नीचे का न हो)

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।

(iv) क्षेत्र का सब डिविजनल अधिकारी जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

(v) प्रशासक/ प्रशासक का सचिव/ विकास अधिकारी (लक्षद्वीप)।

अनुबंध-VIII

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____
सुपुत्र/सुपुत्री _____
ग्राम/कस्बा _____ जिला/संभाग _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
_____ समुदाय से संबंधित हैं जो भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं
अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प सं ----- दिनांक -----* के
अंतर्गत पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

श्री/श्रीमती/कु० ----- तथा/या उनका परिवार
सामान्यतः----- राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के ----- जिला/
संभाग में रहता/रहते हैं ।

श्री/श्रीमती/कु० ----- तथा/या उनका परिवार
सामान्यतः----- राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के ----- जिला/
संभाग में रहता/रहते हैं । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत
सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं
36012/22/93-स्था (एससीटी), दिनांक 8.9.1993** की अनुसूची
के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।

जिलाधिकारी: _____
उपायुक्त आदि _____

दिनांक:

मुहर:

*-प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प का ब्यौरा उल्लेख करना होगा जिसमें अभ्यर्थी की जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लेख है।

** - समय समय पर यथा संशोधित

टिप्पणी :- यहां प्रयुक्त 'सामान्यतः' शब्द का वही अर्थ होगा जैसाकि जन

प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है ।

अनुबंध- IX

..... सरकार

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला आय और संपत्ति संबंधी
प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या

दिनांक

_____ वर्ष लिए मान्य

यह प्रमाणित करना है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

पुत्र/पुत्री/पत्नी _____ स्थायी

निवासी _____ गाँव/गली _____ डाकघर

_____ जिला _____ राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र

_____ पिन कोड _____ जिनकी फोटो नीचे सत्यापित

की गयी है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं क्योंकि वित्त वर्ष

के लिए उनकी /उनके 'परिवार' ** की कुल वार्षिक आय* 8 लाख (केवल आठ लाख रुपये) से कम है। उनके/उसके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई संपत्ति नहीं है :

- I. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि ;
- II. 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
- III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
- IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड ।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी _____ का संबंध _____ जाति से है जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

कार्यालय की मुहर के साथ हस्ताक्षर.....

नाम

पद.....

आवेदक के हाल ही के पासपोर्ट आकार की सत्यापित फोटो

- * नोट 1: सभी स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि को शामिल करके कुल आय ।
** नोट 2: इस प्रयोजनार्थ 'परिवार' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन के साथ-साथ उसका पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे।
*** नोट 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या अधिग्रहीत संपत्ति परीक्षण लागू करते समय विभिन्न स्थानों / शहरों में "परिवार" की सभी संपत्ति को शामिल कर लिया गया

अनुबंध -X

प्रारूप-V

दिव्यांगता प्रमाण पत्र

(विच्छेदन या अंग के पूरे स्थायी पक्षाघात के मामले या बौनेपन और नेत्रहीनता के मामले में)

(नियम 18(1) देखें)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं. ----- दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती /

कुमारी-----सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री

-----जन्म तिथि ----- (दि/

म/व) आयु ----- वर्ष पुरुष/ महिला----- पंजीकरण संख्या -----

मकान नं ----- वार्ड/गांव/गली ----- डाकघर ----- जिला

----- राज्य ----- के स्थायी निवासी हैं, जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूँ कि:-

(क) उनका मामला:

- गतिविषयक दिव्यांगता
- बौनापन
- नेत्रहीनता का है

(जैसा भी लागू हो, निशान लगाएं)

(ख) उनके मामले में ----- निदान किया गया है ।

(ग) वे दिशानिर्देशों ----- (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार अपने ----- (शारीरिक अंग) (उल्लेख करें) के संबंध में ----- % (अंकों में) ----- % (शब्दों में) स्थायी गतिविषय दिव्यांगता/बौनापन/नेत्रहीनता से पीड़ित हैं।

2. आवेदक ने आवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर एवं मुहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

अनुबंध-XI

प्रारूप-VI

निःशक्तता प्रमाण पत्र
(बहु निःशक्तता संबंधी मामलों में)
(नियम 18(1) देखें)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं. ----- दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती /
कुमारी----- सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री
----- जन्म तिथि ----- (दि/
म/व) आयु ----- वर्ष पुरुष/ महिला----- पंजीकरण संख्या -----
मकान नं ----- वार्ड/गांव/गली ----- डाकघर ----- जिला
----- राज्य ----- के स्थायी निवासी हैं, जिनकी फोटो ऊपर
चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूँ कि:-
(क) उनका मामला बहु निःशक्तता है । उनकी शारीरिक निःशक्तता/दिव्यांगता का
दिशानिर्देशों (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख)
के अनुसार निम्नलिखित इंगित निःशक्तताओं के लिए मूल्यांकन किया गया है और
उसे निम्नलिखित सारणी में उपयुक्त निःशक्तता के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्र. सं.	निःशक्तता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/ मानसिक दिव्यांगता(%में)
1.	गति विषयक दिव्यांगता	@		
2.	पेशी संबंधी कुपोषण			
3.	अभिसाधित कुष्ठ			
4.	बौनापन			
5.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात			
6.	तेजाब के हमले में जले पीड़ित			
7.	अल्प दृष्टि	#		
8.	नेत्रहीनता	#		
9.	बधिरता	£		
10.	श्रवण दिव्यांगता	£		
11.	वाक् एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता			
12.	बौद्धिक दिव्यांगता			
13.	विशिष्ट अभिगम दिव्यांगता			
14.	ऑटिस्म स्पेक्ट्रम विकार			
15.	मानसिक रोग			
16.	चिरकालिक तंत्रिका संबंधी			

	विकार			
17.	मल्टीपल स्लेरोसिस			
18.	पार्किन्सन बीमारी			
19.	हेमोफिलिया			
20.	थेलेसेमिया			
21.	सिकल सेल डिजीज			

(ख) उपर्युक्त के संदर्भ में, उसकी समग्र स्थायी शारीरिक दिव्यांगता दिशानिर्देशों (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार निम्नलिखित है:

अंको में प्रतिशत

शब्दों में प्रतिशत

2. उपर्युक्त स्थिति प्रगामी है/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है।

3. निःशक्तता का पुनःनिर्धारण:

(i) आवश्यक नहीं है

अथवा

(ii) वर्ष माह के पश्चात पुनःनिर्धारण की सिफारिश की जाती है और इसलिए यह प्रमाणपत्र (तारीख) (माह) (वर्ष) तक मान्य रहेगा।

@ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगे

उदाहरणतः एक आँख

£ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों कान

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर

सदस्य का नाम और मुहर	सदस्य का नाम और मुहर	अध्यक्ष का नाम और मुहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप
जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

अनुबंध-XII

प्रारूप-VII

निःशक्तता प्रमाण पत्र
(प्रपत्र V और VI में उल्लिखित मामलों को छोड़कर)
(नियम 18(1) देखें)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम
एवं पता)

निःशक्त व्यक्ति का हाल
ही का पासपोर्ट आकार
का अनुप्रमाणित फोटो
(केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं. ----- दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती /
कुमारी----- सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री
----- जन्म तिथि ----- (दि/
म/व) आयु ----- वर्ष पुरुष/ महिला----- पंजीकरण संख्या
-----, जोकि मकान नं ----- वार्ड/गांव/गली ----- डाकघर -----
जिला ----- राज्य ----- के स्थायी निवासी हैं और जिनकी फोटो
ऊपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूं कि वे
..... निशक्तता से पीड़ित हैं। उनकी शारीरिक निःशक्तता/दिव्य
यांगता का दिशानिर्देशों (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की

तारीख) के अनुसार निम्नलिखित इंगित निःशक्तताओं के लिए मूल्यांकन किया गया है और उसे निम्नलिखित सारणी में उपयुक्त निःशक्तता के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्र. सं.	निःशक्तता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/ मानसिक दिव्यांगता (%में)
1.	गति विषयक दिव्यांगता	@		
2.	पेशी संबंधी कुपोषण			
3.	अभिसाधित कुष्ठ			
4.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात			
5.	तेजाब के हमले में जले पीड़ित			
6.	अल्प दृष्टि	#		
7.	बधिरता	€		
8.	श्रवण दिव्यांगता	€		
9.	वाक् एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता			
10.	बौद्धिक दिव्यांगता			
11.	विशिष्ट अभिगम दिव्यांगता			
12.	ऑटिस्म स्पेक्ट्रम विकार			
13.	मानसिक बीमारी			
14.	चिरकालिक तंत्रिका संबंधी विकार			
15.	मल्टीपल स्लेरोसिस			
16.	पार्किन्सन बीमारी			
17.	हेमोफिलिया			
18.	थेलेसेमिया			
19.	सिकल सेल डिजीज			

(कृपया उन निशक्तताओं को काट दें जो लागू न हों)

2. उपर्युक्त स्थिति प्रगामी है/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है ।

3. निःशक्तता का पुनःनिर्धारण:

(i) आवश्यक नहीं है

अथवा

(ii) वर्षमाह के पश्चात पुनःनिर्धारण की सिफारिश की जाती है और इसलिए यह प्रमाणपत्र (तारीख) (माह)

(वर्ष) तक मान्य रहेगा ।

@ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगे

उदाहरणतः एक आँख/दोनों आंखे

€ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों कान

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
(नाम और मुहर)

{यदि प्रमाणपत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी अधिकारी (मुहर के साथ) नहीं है, तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/सरकारी अस्पताल के अध्यक्ष के प्रतिहस्ताक्षर एवं मुहर}

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

टिप्पणी: यदि प्रमाणपत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी अधिकारी नहीं है, तो यह जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होने पर ही वैध होगा।

अनुबंध-XIII

शैक्षिक योग्यता

डिप्लोमा
बी.ई
बी.टेक.
एएमआईई (भाग क और भाग ख)
बी.एससी. (अभियांत्रिकी)
एम.ई
एम.टेक.
एम.एससी (अभियांत्रिकी)

शैक्षिक योग्यता के लिए विषय कोड:

शैक्षिक योग्यता के स्ट्रीम / विषय
सिविल इंजीनियरिंग
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
मकैनिकल इंजीनियरिंग
ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग

अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने



अत्यधिक जंगील



टोपी के साथ



अत्यधिक गहरा रंग



उल्टी फोटो



अत्यधिक गहरा रंग



धूप वाले चश्मे के साथ



निम्नी दृश्यांग फोटो



बहुत छोटी



चश्मे के साथ



मा

अनुसूची

जीआरईएफ के लिए भर्ती के चिकित्सा मानक

सामान्य

1. प्रत्येक अभ्यर्थी को पर्याप्त रूप से बुद्धिमान एवं स्नायु संबंधी अस्थिरता से मुक्त होना चाहिए और उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। उसकी शारीरिक संरचना संबंधी या अधिग्रहित विकलांगता नहीं होनी चाहिए जिससे भर्ती चिकित्सा अधिकारी की राय में उसे कर्तव्यों, विशेषतः ऊंचाई पर और कठिन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए उसे अनुपयुक्त घोषित किया जा सकता है।

सामान्य परीक्षा

2. सभी मामलों में, चिकित्सा परीक्षा के दौरान यह नितांत आवश्यक है कि अभ्यर्थी के सभी वस्त्र उतरवाए जाएं। इस संबंध में गोपनीयता और सभ्यता

का ध्यान रखा जाए। आंशिक रूप से वस्त्र उतरवाना ही पर्याप्त नहीं है। गुप्ततांगों की परीक्षा किए जाने के समय को छोड़कर अंतःवस्त्र पहनने की अनुमति दी जा सकती है। शरीर के प्रत्येक भाग की परीक्षा की जानी चाहिए और यदि अभ्यर्थी समझाने के बाद भी यह स्वीकार नहीं करता है तो उसे खारिज कर दिया जाएगा। केवल बाजू अर्थात् कोहनी से लेकर कलाई तक, भीतर की ओर तथा हथेली के पीछे की ओर / हाथ के पृष्ठ भाग पर स्थाई टैटू अनुमत्य हैं। तथापि अश्लील, अभद्र या अपत्तिजनक टैटू के मामले में, टैटू की स्वीकार्यता/अस्वीकार्यता पर उप-महानिदेशक (कार्मिक) / जीआरईएफ केंद्र के कमांडेंट द्वारा निर्णय लिया जाएगा। इस संबंध में उप-महानिदेशक (कार्मिक) / जीआरईएफ केंद्र के कमांडेंट का निर्णय अंतिम होगा। शरीर के अन्य भाग पर टैटू स्वीकार्य नहीं हैं और ऐसे मामलों में अभ्यर्थी की आगे जांच नहीं की जाएगी।

शारीरिक फिटनेस का दायित्व

3. जांचकर्ता चिकित्सा बोर्ड अभ्यर्थियों की शारीरिक फिटनेस, उनके शारीरिक विकास की संभावना और उनके पहचान चिह्न की जांच करने के लिए जिम्मेदार है। बोर्ड नामांकन प्रपत्र में उन छोटी कमियों को भी दर्ज करेगा जो अभ्यर्थी को खारिज करने के लिए अपर्याप्त हैं। यदि अभ्यर्थी उपयुक्त (फिट) पाया जाता है तो बोर्ड नामांकन प्रपत्र में आवश्यक प्रविष्टि करेगा और नामांकन प्रपत्र में फिट-श्रेणी जीआरईएफ लिखेगा और नामांकन अधिकारी को लौटा देगा। नामांकन प्रपत्र पर चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर इस घोषणा पत्र के रूप में स्वीकार किए जाएंगे कि उसने मौजूदा निर्देशों के अनुसार उक्त अभ्यर्थी की व्यक्तिगत रूप से जांच की है और जो दोष उसने नामांकन प्रपत्र में नोट किए हैं, अभ्यर्थी में उन दोषों को छोड़कर अन्य कोई दोष नहीं हैं।

मेडिकल हिस्ट्री शीट जीआरईएफ/मेड/2A

4. यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो कि सैनिक की सेवा निवृत्ति के पश्चात निशक्तता पेंशन के दावों से जुड़ा हुआ है। जीआरईएफ/मेड/2A की सारणी संख्या 1 में दी गई चिकित्सा मदों को चिकित्सा बोर्ड द्वारा पूरा किया

जाएगा । जीआरईएफ/मेड/2A इस विज्ञप्ति की अनुसूची III के अनुबंध-I में दिया गया है ।

5. इन दस्तावेजों को तैयार करने और उनका रख-रखाव करने में संबंधित अधिकारियों द्वारा विफल रहने और उनमें प्रविष्टियों की गलती या अपर्याप्तता होने से अत्यधिक देरी हो सकती है जिससे भर्ती का खर्च बढ़ेगा और भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति के साथ गम्भीर अन्याय होगा । अतः चिकित्सा अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए कि परीक्षा के दौरान सभी आवश्यक प्रविष्टियां ध्यानपूर्वक और सटीकता से की गई हैं
6. व्यक्ति की भविष्य में पहचान किए जाने हेतु इस प्रयोजनार्थ दिए गए स्थान में पहचान चिन्ह और छोटी कमियों को संक्षिप्त रूप से और स्पष्टतः नोट किया जाना चाहिए। किसी भी ऐसी कमियों पर सदैव विशेष ध्यान देना चाहिए जो भविष्य में पेंशन के संभावित दावों पर निर्णय को प्रभावित कर सकती हैं।

जीआरईएफ में अभ्यर्थियों की चिकित्सीय निरीक्षण को अभिशासित करने वाले नियम

अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा के मुख्य बिंदु

7. अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा के मुख्य बिंदु। अभ्यर्थियों के निरीक्षण में ध्यान दिए जाने वाले मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:-

- क. कि अभ्यर्थी पर्याप्त रूप से बुद्धिमान है (इस संबंध में किसी भी कमी पर परीक्षण के दौरान ध्यान दिया जाए)
- ख. कि उसका शारीरिक गठन ठीक है और उसे कान, नाक और गले का कोई रोग नहीं है।
- ग. कि उसकी दोनों आंखों की दृष्टि अपेक्षित मानकों के अनुरूप हैं, उसकी आंखें चमकदार, साफ हैं और उनमें कोई भेंगापन, नाइस्टेगेमस या कोई अपसामान्यता नहीं है। आंखों की पुतलियों को सभी दिशाओं में पूर्ण और मुक्त रूप से घूमना चाहिए।
- घ. कि वह बिना किसी रूकावट के बात-चीत कर सकता है।
- ङ. कि वह ग्रंथियों की सूजन से पीड़ित नहीं है।
- च. कि उसका सीना सुगठित है और कि उसका हृदय और फेफड़े स्वस्थ हैं।

- छ. कि उसके अंग सुगठित और सुविकसित हैं।
- ज. कि उसके सभी जोड़ मुक्त रूप से अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं।
- झ. कि उसके पैर और पैरों की अंगुलियां सुसंरचित हैं।
- ञ. कि उसके कोई जन्मजात विकृति या दोष नहीं है।
- ट. कि उसके किसी पिछली पुरानी बीमारी के ऐसे कोई लक्षण नहीं हैं जो किसी शारीरिक विकृति को इंगित करते हों।
- ठ. कि उसके पर्याप्त संख्या में स्वस्थ दांत हैं और वह सक्षमता से चबा सकता है।
- ड. कि उसको जननांग/मूत्र-मार्ग संबंधी कोई रोग नहीं है।

स्थायी रूप से अयोग्य घोषित करने के आधार

8. निम्नलिखित में से किसी भी दशा को परिलक्षित करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य करार दिया जाएगा:-

- क. सामान्य रूप से विकलांग शारीरिक संरचना एवं दुर्बलता (18 से कम बीएमआई)
- ख. असामान्य चाल
- ग. असामान्य अंग-विन्यास (काईपोसिस, सोलियोसिस या लार्डोसिस)
- घ. सीने की समग्र रूप से शारीरिक विरूपता (पिजन चेस्ट, बैरल के आकार का सीना, पैकटस ऐक्सकेवेटम, हैरिसन सल्कस एवं जोड़ (मुड़ी हुई टांगे, मुड़े हुए घुटने, मुड़े हुए पैर ,सपाट पैर)
- ङ. दोषपूर्ण बुद्धिलब्धि
- च. बधिरता
- छ. हकलाना
- ज. मानसिक एवं तंत्रिका संबंधी अस्थिरता जिसमें कपकपीं तथा हथेली एवं तलुओं में अत्यधिक पसीना आता है (पल्स रेट 100/मिनट से अधिक)
- झ. यौन संचारित रोग
- ञ. किसी भी स्तर का भ्रूणपन अथवा पुतलियों का असामान्य रूप से घूमना

- ट. वर्णाधता के मामले
- ठ. व्यक्ति की दोनों आंखों की सामान्य दृष्टि को प्रभावित करने वाला कार्नीयल ओपेसिटिस
- ड. कान के पर्दे में छेद
- ढ. कानों से पीप बहने का दीर्घकालिक रोग/मध्यकर्ण शोध/कर्णमूल शोथिका
- ण. दांतों का उस हद तक टूटना या सड़ना कि ठीक से चबाने में बाधा उत्पन्न होती हो। 14 से कम दांत
- त. फेफड़ों का दीर्घकालिक संक्रमण
- थ. अंतःस्त्रावी विकार
- द. हृदय की अपसामान्य ध्वनि या उच्च रक्त चाप (रक्त चाप $>140/95$ mm Hg)
- ध. अधिक स्तर का अल्प दृष्टि दोष और अपवर्तक दोष को सुधारने के लिए कॉर्नियल सर्जरी के मामले
- न. प्रत्यारोपण से ठीक किया गया फ्रैक्चर या फ्रैक्चर से प्रभावित जोड़ों का अस्थिसमेकन
- फ. कोई अंग विच्छेदन जिससे व्यक्ति की कार्य क्षमता प्रभावित होती हो
- ब. केवल बाजू अर्थात् कोहनी से लेकर कलाई तक, भीतर की ओर तथा हथेली के पीछे की ओर / हाथ के पृष्ठ भाग पर स्थाई टैटू अनुमत्य हैं। तथापि अश्लील, अभद्र या अपत्ति जनक टैटू के मामले में, टैटू की स्वीकार्यता/अस्वीकार्यता पर उप-महानिदेशक (कार्मिक) / जीआरईएफ केंद्र के कमांडेंट द्वारा निर्णय लिया जाएगा। इस संबंध में उप-महानिदेशक (कार्मिक) / जीआरईएफ केंद्र के कमांडेंट का निर्णय अंतिम होगा। शरीर के अन्य भाग पर टैटू स्वीकार्य नहीं है और ऐसे मामलों में अभ्यर्थी की आगे जांच नहीं की जाएगी।

अस्थाई रूप से अयोग्य (अनफिट) घोषित करने के लिए आधार

9. अस्थाई रूप से अयोग्य (अनफिट) घोषित करने के निम्नलिखित आधार हैं:-

क. प्टेरिजियम

ख. नेत्र शोध

ग. दोष पूर्ण दृष्टि (चश्मे से ठीक करने पर दोनों आंखों की 6/6 स्वीकार्य होगी)

घ. ट्रैकोमा ग्रेड-III

ङ. विपथित नासिका झिल्ली

च. गलसुओ की दीर्घ कालिक सूजन

छ. कुछेक दांतों में सड़न (डैच्योर से ठीक करने पर स्वीकार्य है)

ज. पिट्टीएसिस वेर्सिकॉलर

झ. टीनियाक्रोसिस, खुजली, एग्जिमा आदि

ञ. प्लैंटर मस्से

ट. हाइड्रोसिल, हर्निया, वेरीकोसील

ठ. वेरीकोस वेंस

ड. फिमोसिस, गुदा में फिसर या व्रण, बवासीर

ढ. श्वसन नली में अत्यधिक संक्रमण

ण. गाइनेकोमस्टिया

त. रक्त क्षीणता

थ. हैपेटोस्प्लीनोमैगाली

द. 30 से ऊपर वीएमआई (तीन महीने के भीतर वीएमआई 30 से नीचे लाए जाने पर स्वीकार्य होगा)

छोटी कमियों वाले अभ्यर्थियों की स्वीकार्यता

10. निम्नलिखित दशाओं को परिलक्षित करने वाले अभ्यर्थियों को स्वीकार किया जा सकता है:-

क. थोड़े सपाट पैर परंतु पैरों की अंगुलियां लचीली और सुगठित हों।

ख. थोड़े मुड़े हुए घुटने (इंटर मेलोलिक दूरी 5 सेमी.)

ग. थोड़े मुड़ी टांगे (इंटर कोंडाइलर दूरी 7 सेमी.)

घ. सेफेना वेरिक्स का कम स्तर

ङ. वेरीकोसिली का कम स्तर या अनडिसेंडेड वृषण (इंगुइनल क्षेत्र में स्थिर नहीं)

च. कानों के पर्दे में छेद जिसका उपचार कराकर ठीक कर लिया गया है।

छ. बिना किसी विकार के उपचारित ट्रैकोमा

ज. थोड़ा हकलाना

- झ. हाइपरहाइड्रोसिस का कम स्तर
- ञ. फिमोसिस/हाइड्रोसिस का कम स्तर
- ट. कानों में छिद्र जिसका उपचार करके बंद कर दिया गया हो और जिसका स्वस्थ दाग रह गया हो (टाइम्पेनोप्लास्टी की जा चुकी हो।)
- ठ. टांगों की थोड़ी वक्रता
- ड. पैरों की अंगुलियों का कम स्तर का हैमर
- ढ. वेरीसिस का कम स्तर
- ण. टिनिआ वेर्सिकोलर
- त. विपथित नासिका झिल्ली (उपचार के बाद स्वीकार्य)
- थ. ऐसा कोई अन्य विकार जो भर्ती चिकित्सा अधिकारी की राय में अभ्यर्थी की कार्य-क्षमता को भविष्य में प्रभावित न करता हो बशर्ते कि अभ्यर्थी सभी संदर्भों में निर्धारित मानकों को पूरा करता हो। यदि कोई विकार कम स्तर का हो तो उसे दस्तावेज में दर्ज किया जाए।

अभ्यर्थी से इस बात का भी वचन-पत्र लिया जाए कि मिर्गी, कुष्ठ, मधुमेह तपेदिक या एचआईवी संक्रमण से संबंधित उसका कोई पूर्व इतिहास नहीं है। पूर्व के उपचारित ऑपरेशनों को मेडिकल केस शीट में नोट किया जाएगा।

उपर्युक्त छूट केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को अनुमत्य है जो मापों के निर्धारित मानक पूरा करते हों।

ड्राइवर और ऑपरेटर के लिए दृष्टि संबंधी मापदंड

वर्णांधता नहीं होनी चाहिए (सीपी-II होना आवश्यक है) तथा चश्मे के साथ दोनों आंखों की दृष्टि 6/6 होने पर इसे स्वीकृत किया जा सकता है ।

किसी अनफिट होने के मामले में उच्चतर समीक्षा अधिकारी से अनापत्ति प्राप्त करने के लिए समय सीमा

11. (क) स्थायी रूप से अयोग्य घोषित किए जाने के सभी मामलों की उच्चतर चिकित्सा अधिकारी द्वारा समीक्षा की जाए और अयोग्य घोषित किए जाने के समय से एक महीने की अवधि के भीतर उसे अयोग्य/योग्य घोषित किया जाना चाहिए।

(ख) उच्चतर चिकित्सा अधिकारी द्वारा अस्थाई रूप से अयोग्य घोषित किए जाने के सभी मामलों की, अयोग्य घोषित किए जाने के समय से तीन महीने (90 दिन) के भीतर उसे योग्य/अयोग्य घोषित करने के लिए समीक्षा की जाए।

12. ऐसे सभी मामलों में जिनमें अभ्यर्थी किसी अल्प दोष से पीड़ित हो और उसे स्वीकार किया जाता है, चिकित्सा बोर्ड स्वयं को पूर्ण रूप से संतुष्ट करेगा कि उक्त दोष किसी भी तरह बी.आर.ओ में अधीनस्थ के रूप में कार्य करने में अभ्यर्थी की कार्य क्षमता को प्रभावित नहीं करेगा।
13. जहां पैरा 10 में उल्लिखित छोटी कमियों के अभ्यर्थी को स्वीकार किया जाता है, वह कमी अनिवार्य रूप से मेडिकल हिस्ट्री शीट जीआरईफ/मेड/2 ए में नोट किया जाए।
14. साधारण प्रकृति की मामूली स्वास्थ्य समस्याओं, जैसे-साधारण घावों, जूतों के काटने, सामान्य सर्दी-खांसी और इसी तरह की अन्य छोटी-मोटी बीमारियों जोकि प्रायः कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती हैं, से पीड़ित लोगों को स्वीकार किया जा सकता है। इस तरह की भर्ती को स्वीकार करने से पहले मेडिकल बोर्ड खुद को पूरी तरह संतुष्ट करेगा कि अंतरंग (इनडोर) उपचार के बिना रोग कुछ ही दिनों में ठीक हो सकता है। सामान्यतः, जब तक अभ्यर्थी के लिए कुछेक अनिवार्य अपेक्षाओं को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती है, जोकि आसानी से पूरी नहीं की जा सकती हैं, उसे सलाह दी जानी चाहिए कि वह खुद का इलाज करवाए और फिर से आए। यदि ऐसे अभ्यर्थी को स्वीकार किया जाता है, जोकि किसी भी प्रकृति के मामूली रोग से पीड़ित है, तो मेडिकल हिस्ट्री शीट जीआरईएफ/मेड/2 ए में रोग से संबंधित कोई भी प्रविष्टि करने की आवश्यकता नहीं है।
15. अपेक्षित चिकित्सीय मानकों को पूरा नहीं करने के कारण अस्वीकृति के सभी मामलों में मेडिकल बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।